[ 2022 ] 11 एस. सी. आर. 539

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी

वी.

ब्रिटिश एयरवेज

( 2022 की सिविल अपील संख्या 4978)

29 जुलाई, 2022

[ के. एम. जोसेफ और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

वायु अधिनियम, 1972-नियम 30-सीमा अधिनियम, 1963। 3 , 29 , अनुसूची-क्या सीमा अधिनियम, 1963 निर्दिष्ट अवधि पर लागू होता है? वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 की दूसरी अनुसूची के नियम 30 में-आयोजितः दूसरी अनुसूची के नियम 30 में यह प्रावधान है कि

यदि नियम में उल्लिखित तिथियों से दो साल की अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो नुकसान बुझ जाएगा-कब

किसी संधि या समझौते को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, वियना समझौते के अनुच्छेद 31 और 32 इसके लिए प्रासंगिक हो जाते हैं ऐसे कानूनों की व्याख्या-कानून के न्यायालयों को प्रयास करना चाहिए

अन्य अदालतों के साथ व्याख्या की एकरूपता बनाए रखें

अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों की व्याख्या करते समय क्षेत्राधिकार दूसरी अनुसूची के नियम 30 में संसद द्वारा अपनाए गए और शामिल किए गए सम्मेलन द्वारा प्रयुक्त 'अधिकार' और 'समाप्त' वाक्यांश स्पष्ट रूप से कानून के इरादे को स्थापित करते हैं-यह बताते हुए कि क्षति का अधिकार उसमें उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद भी नहीं रहेगा-नियम 30 (2) में सीमा की अवधि की गणना करने वाली अभिव्यक्ति सीमा अधिनियम, 1963 के भाग-3 में प्रदान की गई सीमा की अवधि की गणना का पर्याय है-देश भर के उच्च न्यायालयों (दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास) ने भी इसी तरह का विचार रखा है कि सीमा अधिनियम को निम्नलिखित दावों के संचालन से बाहर रखा जाएगाः

वायु अधिनियम-विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अपनाए गए समझौते के अनुच्छेद 29 की सुसंगत व्याख्या को ध्यान में रखते हुए,

एकरूपता और उद्देश्य और उद्देश्य को कम करने के लिए भी कन्वेंशन, इस न्यायालय का विचार है कि नियम 30 (2) गणना के उद्देश्य के लिए अवधियों के अपवर्जन की प्रयोज्यता को सक्षम नहीं करता है

दो साल की अवधि।

परिसीमा अधिनियम, 1963। 29 क्या वायु अधिनियम, 1972, विशेष रूप से दूसरी अनुसूची के नियम 30 में सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है? आयोजित किया गयाः जहाँ एक अवधि

उप-नियम (1) के साथ-साथ उस समझौते का उद्देश्य और उद्देश्य जो इन से संबंधित नियमों का एकीकरण करना है - वायु द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वहन-वायु द्वारा वहन अधिनियम 1972 का नियम 30, सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से बाहर करता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः

क्या सीमा अधिनियम, 1963 वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 की दूसरी अनुसूची के नियम 30 में निर्दिष्ट अवधि पर लागू होता है?

1. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संबंधित मामले

भारत। धारा 4 हेग प्रोटोकॉल दिनांकित 28.09.1955 को शामिल करती है और इसे दूसरी अनुसूची में प्रावधान करती है और इसे भारत में कानून का दर्जा देती है। इसी तरह मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 को प्रभावी बनाने के लिए 2009 में धारा 4 ए लागू की गई। यह अधिनियम की तीसरी अनुसूची में है और इसे भारत में कानून का दर्जा देता है। [ पैरा 10] [552-एफ-जी; 553-ए-बी]

2. भारत में सिविल मुकदमों की संस्था और निर्णय को नियंत्रित करने वाले प्रक्रियात्मक कानून में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के साथ-साथ सीमा अधिनियम, 1963 भी शामिल है। सीमा अधिनियम विशेषण कानून की एक शाखा है, और उन सभी कार्यवाहियों पर लागू होता है जिन्हें यह अपने अधिनियमन की तारीख से नियंत्रित करता है। हालाँकि एक सुस्थापित सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि जब अधिकार समाप्त हो जाता है, तो सीमा से संबंधित प्रावधानों में कोई सीमा नहीं होती है। आवेदन। एक प्रत्यक्ष उदाहरण जहाँ अधिकार ही समाप्त हो जाता है, धारा 11 के साथ-साथ सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 में भी प्रमाणित किया जा सकता है। धारा 11 विदेशों में किए गए अनुबंधों के संबंध में भारत में दायर मुकदमों से संबंधित है।

लेक्स फोरी के सिद्धांत का पालन करते हुए, धारा में प्रावधान है कि विदेशी क्षेत्राधिकार में प्रदान किए गए सीमा के नियम लागू नहीं होते हैं।

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज

हालाँकि, इस नियम का अपवाद धारा 11 (2) (ए) में प्रदान किया गया है, जब अनुबंध यानी अधिकार समाप्त हो जाता है। इसी तरह, धारा 27 भी अधिकार के उन्मूलन के सिद्धांत को मान्यता देती है। संपत्ति सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता के लिए एक अपवाद है। [ पैरा 12] [554-बी-ई]

3. संबंधित कानून की सुस्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए

अंतर्राष्ट्रीय कानून में, अधिकार या स्वयं दायित्व के उन्मूलन से उत्पन्न होने वाले समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित अपवाद के साथ, अब हम वाहक के दायित्व से संबंधित वायु अधिनियम, 1972 की दूसरी अनुसूची में नियम 30 के अनुसार भारत में स्थिति की जांच करेंगे। [ पैरा 14] [558-ए-सी]

4. जबकि नियम 29 शुरू करने के लिए न्यायिक उपचार की बात करता है।

हर्जाने के लिए एक कार्रवाई, नियम 30 हर्जाने के अधिकार अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। यह एक उपाय के विपरीत अधिकार के संदर्भ में है कि नियम 30 के उद्देश्य, उद्देश्य और अर्थ को समझा जाना चाहिए।

इसके अलावा, नियम 30 में "अग्निशामक" अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है।

नियम में ही उल्लिखित, प्रवर्तन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सीमा अधिनियम की धारा 3 केवल उपचार को प्रतिबंधित करती है, लेकिन जब अधिकार ही समाप्त हो जाता है, तो इसके प्रावधान सीमा अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस कारण से, द ईस्ट एंड वेस्ट स्टीमशिप कंपनी में, इस न्यायालय ने कहा कि एक बार खंड के तहत दायित्व का अधिकार समाप्त हो जाने के बाद, उसके बाद दायित्व को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। [ पैरा 15.2] [559-सी-डी]

6. अपनी सरल और सरल भाषा में, उप-नियम (2) [2022] 11 एस. सी. आर. में न्यायालयों के रूप में सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता को अपनाता प्रतीत होता है।

उक्त अवधि (तीन निर्दिष्ट तिथियाँ)। इसलिए, जब सीमा की अवधि, साथ ही उक्त अवधि के प्रारंभ की तारीख, पहले से ही दी गई है, तो गणना की विधि उप-नियम (2) के तहत विचार की गई सीमा की अवधि किसी अन्य कारक से संबंधित होनी चाहिए। हालांकि, उस चर को निर्दिष्ट किए बिना, जिस पर अवधि की गणना करने की विधि लागू होनी है, उप-नियम (2) केवल यह प्रावधान करता है कि यह "कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

मामला जब्त किए गए न्यायालय पर लागू होता है। इससे सांसदों के इरादे के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है, चाहे वह

अधिनियम की दूसरी अनुसूची का अभिसमय या नियम 30। [ पैरा 16.2] [559-एफ-एच; 560-ए-बी]

7. इसके अलावा, नियम 30 (2) में सीमा की अवधि की गणना करना अभिव्यक्ति गणना का पर्याय है। सीमा अधिनियम, 1963 के भाग-3 में प्रदत्त सीमा की अवधि। भाग-III, जो कुछ समय अवधियों के अपवर्जन से संबंधित है, सार्वजनिक नीति के आधार पर एक न्यायपूर्ण कारण की उप-सेवा करना है जो मानवीय कमजोरियों को पहचानता है। मोटे तौर पर, ये अवधियाँ (i) उस तारीख से संबंधित हैं जिससे अवधि की गणना की जानी है (धारा 12); (ii) एक भिखारी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए लिया गया समय, (धारा 13); (iii) गलत न्यायालय के सुधार के अवलोकन में शामिल प्रामाणिक अवधि (धारा 14); (iv) धोखाधड़ी (धारा 17); (v) ऋण की स्वीकृति (धारा 18); (vi) ऋण के कारण स्वीकृत भुगतान (धारा 19); (vii) निरंतर उल्लंघन आदि। ये वे अवधियाँ हैं जिन्हें अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जा सकता है।

सीमा अधिनियम, 1963 के तहत सीमा का निर्धारण। [ पैरा 16.3] [560-बी

डी]

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ एक स्पष्ट संघर्ष के कारण सामने आती हैं

दूसरी अनुसूची के नियम 30 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के बीच। जबकि उप-नियम (1) दो साल की अवधि समाप्त होने पर अधिकार को समाप्त कर देता है, जिसके बाद प्रवर्तन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, उप-नियम (2) यह सुझाव देता है कि मामले को जब्त करने वाला न्यायालय अपनी कार्यवाही पर लागू सीमा कानून को लागू कर सकता है और कार्यवाही के मुकदमे पर विचार कर सकता है।

[ पैरा 18] [561-बी-सी] एम/एस भगवानदास बी. रामचंडनी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज

9. अनुच्छेद 29 के उप-अनुच्छेद (2) की भाषा में अनिश्चितता को देखते हुए, जैसा कि भारत के लिए नियम 30 के उप-नियम (2) के मामले में, सभी क्षेत्राधिकारों में कानून की अदालतों से कहा गया था - उक्त के निर्माण पर प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करें

प्रावधान। दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने हमारे सामने विदेशी अदालतों के फैसलों को रखा है जिन्होंने अनुच्छेद 29 पर फैसला सुनाया है और उक्त प्रावधान की व्याख्या की है, कमोबेश लगातार यह विचार रखते हुए कि सीमा के घरेलू कानून हैं। इसका दो साल की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। [ पैरा 29] [569-सी डी]

10. देश भर के उच्च न्यायालयों ने भी इसी तरह का विचार रखा है कि सीमा अधिनियम, 1963 को इससे बाहर रखा जाएगा।

वायु अधिनियम के तहत दावे के लिए संचालन। उच्च न्यायालयों ने उन्होंने तर्क दिया कि वायु अधिनियम एक विशेष कानून है और इस प्रकार यह सीमा अधिनियम, 1963 पर प्रबल होगा, जो एक सामान्य कानून है। एयर इंडिया लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय। तेज शू एक्सपोर्ट्स पी. लिमिटेड

शैलेश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाम। ब्रिटिश एयरवेज एंड एन. आर. , भारतीय

9

11. अंतिम विश्लेषण में, सम्मेलन के विधायी इतिहास को ध्यान में रखते हुए और सुसंगतता को ध्यान में रखते हुए एकरूपता के उद्देश्य से और कन्वेंशन के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अपनाए गए कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 की व्याख्या, हमारा विचार है

कि नियम 30 (2) दो वर्ष की अवधि की गणना के उद्देश्य से अवधियों के अपवर्जन की प्रयोज्यता को सक्षम नहीं करता है। [ पैरा 43] [577-जी-एच]

क्या वायु अधिनियम, 1972, विशेष रूप से दूसरी अनुसूची के नियम 30 में सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है

1963 ?

12. मुद्दा संख्या 1 के साथ व्यवहार करते समय, हमने माना है कि नुकसान का अधिकार समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाता है।

दो वर्ष की अवधि और इसलिए सीमा [2022] 11 एस. सी. आर. के प्रावधान।

अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि प्रवर्तन के लिए कोई अधिकार मौजूद नहीं है। इस संदर्भ में हमने सीमा अधिनियम की धारा 3 का उल्लेख किया है जो केवल उपचार को प्रतिबंधित करती है न कि अधिकार को, लेकिन जब क़ानून अधिकार को ही समाप्त कर देता है तो स्थिति बहुत अलग होती है। तथापि हम अपीलार्थी के वर्तमान तर्क पर एक वैकल्पिक याचिका के रूप में विचार करेंगे और उससे निपटने के लिए तुरंत आगे बढ़ेंगे। [ पैरा 45] [578-ई-एफ]

13. जहाँ सीमा अधिनियम की धारा 29 के आधार पर किसी विशेष कानून में सीमा की अवधि निर्धारित की गई है, वहाँ ऐसी अवधि लागू होगी जैसे कि यह सीमा अधिनियम की अनुसूची में प्रदान की गई थी।

नतीजतन, धारा 4 से 24 के प्रावधान सीमा की अवधि की गणना के उद्देश्य से लागू होंगे। यह प्रावधान एक स्पष्ट अपवाद के अधीन है कि सीमा अधिनियम ऐसा नहीं करेगा

हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित। अधिनियम में शामिल अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं (i) वारसॉ समझौता, 1929; (ii) वारसॉ समझौता, 1929 जैसा कि हेग प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किया गया है और (iii) मॉन्ट्रियल। सम्मेलन, 1999। अधिनियम की धारा 3 में वारसा कन्वेंशन को पहली अनुसूची के रूप में अधिनियम में शामिल किया गया है और विशेष रूप से

भारत में इसे कानून का दर्जा प्रदान करता है। धारा 4 हेग प्रोटोकॉल को शामिल करती है और इसे दूसरी अनुसूची में प्रावधान करती है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए धारा 4 ए अधिनियम की तीसरी अनुसूची प्रदान करती है और विशेष रूप से इन प्रावधानों को कानून की स्थिति प्रदान करती है। [ पारस 50 और 51] [581-बी, ई-एफ]

15. हेग प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित वारसॉ कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय गाड़ियों द्वारा हवाई मार्ग से परिवहन से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए अपने आप में एक पूर्ण कोड है। नियम 1 (1) में प्रावधान है कि हेग प्रोटोकॉल "पुरस्कार के लिए विमान द्वारा किए गए व्यक्तियों, सामान या माल के सभी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन" पर लागू होगा।

नियम 2 में प्रावधान है कि कन्वेंशन गाड़ी पर लागू होगा राज्य द्वारा या कानूनी रूप से गठित सार्वजनिक निकायों द्वारा निष्पादित। कन्वेंशन के अध्याय II (नियम 3 से 16) का शीर्षक "कैरिज के दस्तावेज" है। नियम 3 उन दस्तावेजों से संबंधित है जो मैसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम।

ब्रिटिश एयरवेज

यात्रियों की एक गाड़ी को डिलीवर करना होगा। नियम 4 ए निर्धारित करता है

16. वर्तमान में हम जिस अध्याय से संबंधित हैं, वह अध्याय III है जिसका शीर्षक 'वाहक की देयता' है। नियम 17 विमान में सवार होने के दौरान किसी यात्री की मृत्यु या घायल होने या अन्य चोटों की स्थिति में नुकसान के लिए वाहक के दायित्व का प्रावधान करता है। नियम 18 में माल के विनाश, हानि, क्षति आदि की स्थिति में वाहक के दायित्व की परिकल्पना की गई है। इसी तरह, नियम 19 यात्रियों, सामान या माल की ढुलाई में देरी पर वाहक के दायित्व से संबंधित है। नियम 20 वाहक को एक न्यायसंगत छूट प्रदान करता है यदि वह यह साबित करता है कि उसने देरी या क्षति को नकारने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए थे। नियम 21 एक और न्यायसंगत प्रावधान है जो अंशदायी लापरवाही के मामलों में वाहक की रक्षा करता है। नियम 22 वाहक के न्यूनतम दायित्व को निर्दिष्ट करता है। नियम 23 उन सभी सीमाओं को रद्द कर देता है जो

नियम 22 में दिए गए प्रावधानों से कम हैं। [ पैरा 53] [582-बी-डी]

17. कन्वेंशन ने निश्चित रूप से सीमा के नियम 30 (1) में निर्दिष्ट अवधि की गणना के संदर्भ में दो चरों को शामिल किया। पहली घटना समय से संबंधित है, जो दो साल की एक निश्चित अवधि है। दूसरी घटना से संबंधित है

कार्रवाई के कारण का प्रारंभ जो तीन घटनाओं में से किसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (i) गंतव्य पर आगमन; या (ii) जिस तारीख को विमान को पहुंचना चाहिए था; या (iii) जिस तारीख को गाड़ी रुकी थी। अब, एकमात्र घटना जो बची है वह तारीख है जिस पर हर्जाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है क्योंकि यह मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून पर निर्भर करेगा। नियम 30 (2) विशेष रूप से प्रदान करता है कि "अवधि की गणना करने की विधि मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी।" यह अनिवार्य रूप से इस कारण से होना चाहिए कि [2022] 11 एस. सी. आर.

कन्वेंशन में शामिल किया जाए, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उद्देश्य को विफल किया जा सके जो लाने के लिए है हवाई परिवहन पर लागू कानूनों में दुनिया भर में एकरूपता। इस मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि वायु द्वारा वहन अधिनियम 1972 का नियम 30, सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से बाहर करता है। मुद्दा संख्या 2 का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। [ पैरा 58 और 60] [583-एफ-जी; 584-सी]

शैलेश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाम। ब्रिटिश एयरवेज एंड एन. आर. 2003 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 318; इंडियन एयरलाइंस बनाम एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड और ए. एन. आर. 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6825; इथोपियन एयरलाइंस बनाम। फेडरल केमिकल वर्क्स लिमिटेड 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 862 एयर इंडिया, बॉम्बे एयरपोर्ट बनाम। एशिया टैनिंग कं. 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 802 ने एपी को मंजूरी दी।

पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा 1993 सप्लीमेंट (1) एससीसी 499: [ 1992 ] 2 एससीआर 528; हुकुमदेव नारायण यादव बनाम। ललित नारायण मिश्रा (1974) 2 एस. सी. सी. 133: [ 1974 ] 3 एससीआर 31; षण्मुगम बनाम।

पंजीकरण आयुक्त [1962] 2 सभी ई. आर. 609 -

पर भरोसा किया।

एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम मेसर्स सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 247; मेसर्स एयर इंडिया बॉम्बे एयरपोर्ट और

एक अन्य वी। मेसर्स एशिया टैनिंग कंपनी और ए. एन. आर. 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 802; द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे और अन्र। वी. यूनियन ऑफ इंडिया 2004 एससीसी ऑनलाइन मैड 489; द ईस्ट एंड वेस्ट स्टीमशिप

कंपनी, जॉर्जटाउन, मद्रास बनाम। एस. के. रामलिंगम चेट्टियार एयर 1960 एस. सी. 1058 [1960] 3 एस. सी. आर. 820; एयर इंडिया लिमिटेड बनाम तेज शू एक्सपोर्टर्स पी. लिमिटेड और एन. आर. 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3749; गल्फ एयर कंपनी बनाम। नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य 1999 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच

915 ; खादी ग्राम उद्योग न्यास बनाम। राम चंद्रजी विराजमान मंदिर (1978) 1 एस. सी. सी. 44:

[ 1978 ] 2 एस. सी. आर. एम/एस. भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज

249 ; नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और एएनआर। वी. नीडल इंडस्ट्रीज नेवे (इंडिया) होल्डिंग लिमिटेड और ओआरएस (1981) 3 एससीसी 333: [ 1981 ] 3 एस. सी. आर. 698; नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम जटनादेवी तेजराज जैन 2011

एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 7601; केरल राज्य और अन्य। वी. वी. आर. कल्लियानिकुट्टी और अन्न। ( 1999 ) 3 एससीसी 657: [ 1999 ] 2 एससीआर 372; प्रेम सिंह और अन्य। वी. बीरबल और ओआरएस। ( 2006 ) 5 एससीसी 353: [ 2006 ] 1 पूरक। एससीआर 692-संदर्भित को।

ओआरएस। ( 1964 ) 77 एलडब्ल्यू 399; आर वी। गृह विभाग के राज्य सचिव ने अदन, (1999) 4 ऑल ई. आर. 774 को निर्वासित किया। पी। 785 ( सी. ए.); आर. (मुलेन के आवेदन पर) v. गृह विभाग के लिए राज्य सचिव (2004) 1 सभी ईआर 65; फोदरगिल बनाम। मोनार्क एयरलाइंस (1980) 2 ऑल ई. आर. 696; मॉरिस बनाम। के. एल. एम. रॉयल डच एयरलाइंस [2001] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 351; ज़िचरमैन बनाम। कोरियाई एयर लाइन्स कंपनी लिमिटेड 516 यू. एस. 217, (1996), ई. आई. ए. आई. इज़राइल एयरलाइंस लिमिटेड वी. टी. वाई. त्सेंग 525 यू. एस. 155 (1999); नारायणन बनाम। ब्रिटिश एयरवेज 2014 यू. एस. ऐप। लेक्सिस 5173: 747 एफ. 3 डी 1125; लोरांस बनाम। एयर फ्रांस (1977) 31 आर. एफ. डी. ए. 268 जोसेफ बनाम। सीरियन अरब एयरलाइंस 88 एफ. आर. डी. 530 (S.D.N.Y. 1980); फ्लैनगन वी। मैकडॉनेल डगलस कॉर्प 428 एफ. सप। 770 ( सी. डी. बछड़ा। 1977 ) - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

डी] 3 एससीआर 820

पैरा 7.

उस पर भरोसा करें

2 ] 2 एससीआर 528

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1978 ] 2 एससीआर 249

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13.5

[ 1999 ] 2 एससीआर 372

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13.5

[ 2006 ] 1 पूरक। एससीआर 692

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15.1

[ 1981 ] 3 एससीआर 698

पै

रा 47

संदर्भित किया गया है

[ 1974 ] 3 एससीआर 31

उस पर भरोसा करें

पै

रा 48

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4978

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 02.02.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की रिट याचिका No.6647 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रवर्तक पाठक, सुश्री ग्वेन कार्तिका,

सुश्री आभा आर. शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री रितु सिंह मान, धीरज के. गर्ग, राजन के. चौरसिया,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2.1 विमान द्वारा वहन अधिनियम, 1972 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को शामिल किया गया है।

अधिनियम की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों में वारसॉ, 1929, हेग प्रोटोकॉल, 1955 और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 के कन्वेंशन। दूसरी अनुसूची का नियम 30, जिसमें हेग शामिल है

प्रोटोकॉल में प्रावधान है कि यदि नियम में उल्लिखित तिथियों से दो साल की अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो नुकसान का अधिकार समाप्त हो जाएगा। नियम 30 के उप-नियम (2) में प्रावधान है कि सीमा की अवधि की गणना करने की विधि मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी। चूंकि सीमा अधिनियम, 1963 भारत में न्यायालयों के लिए लागू कानून है, इसलिए एयरलाइनों के उपभोक्ताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि सीमा अधिनियम में प्रदान की गई सीमा की अवधि का अपवर्जन नियम 30 में उल्लिखित दो साल की अवधि की गणना के लिए लागू होगा।

( 1 ) .

2.2 हमारे लिए कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुए हैं।

विचार करें। पहला सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित है जब अधिकार स्वयं समाप्त हो जाता है, उपचार पर प्रतिबंध के विपरीत, जैसा कि सीमा अधिनियम की धारा 3 के मामले में है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हवाई परिवहन अधिनियम, 1972 के प्रावधान धारा 29 में दिए गए सीमा अधिनियम, 1963 को स्पष्ट रूप से बाहर करते हैं।

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

2.3 पहले प्रश्न पर, हमने संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन, 1969 में प्रदान किए गए सम्मेलनों के विधायी इतिहास का उल्लेख करके नियम 30 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के बीच स्पष्ट संघर्ष का समाधान किया है। कन्वेंशन के गठन की ओर ले जाने वाली कठिन तैयारी यह स्थापित करती है कि कन्वेंशन ने अनुच्छेद में निर्दिष्ट दो साल की अवधि में किसी भी व्यवधान को बाहर करने का प्रयास किया। हमने इस सर्वमान्य सिद्धांत का भी पालन किया है कि

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को प्रभावी बनाने वाले नगरपालिका कानूनों की व्याख्या करते हुए, न्यायालयों को सम्मेलनों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्याख्या में एकरूपता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्राधिकारों के निर्णयों की जांच करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि वे हैं

यह उस व्याख्या के अनुरूप है जिसे हमने नियम 30 के उप-नियम (2) के अर्थ में अपनाया है। हमारी राय में उप-नियम (2) अवमूल्यन नहीं करता है उप-नियम (1) के आशय से सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को छोड़कर लेकिन केवल न्यायालय को दो की अवधि निर्धारित करने का अधिकार देता है।

वर्षों से।

2.4 दूसरे प्रश्न पर, वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 के प्रावधानों की जांच करने के बाद, हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि नियम 30 धारा 29 में दिए गए सीमा अधिनियम को स्पष्ट रूप से बाहर करता है।

तथ्य और कार्यवाहीः

3. अपीलार्थी एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था है जो आयात और निर्यात के व्यवसाय में लगी हुई है। अपीलार्थी ने एक मालवाहक भेजा जिसमें

04.01.2010 पर ब्रिटिश एयरवेज 1 की सेवाओं को नियोजित करके मुंबई से लंदन होते हुए कनाडा तक फल और सब्जियां। हालाँकि, लंदन में खराब मौसम की स्थिति के कारण 06.01.2010 पर उड़ान यहाँ से नहीं निकल सकी। कनाडा, परिणामस्वरूप फल और सब्जियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं और परिणामस्वरूप नष्ट हो गईं। अपीलार्थी ने 1,70,221.56/के लिए दावा दायर किया।

- उत्तरदाता के साथ। 30.06.2010 पर, अपीलार्थी ने एक बार फिर मुंबई से कनाडा में फलों और सब्जियों से भरा एक समान माल भेजा। फिर भी, पैकेजिंग और अन्य मुद्दों के कारण माल नहीं भेजा जा सका और इसके परिणामस्वरूप, माल को नष्ट करना पड़ा। अपीलार्थी ने ₹ 4,27,922/- के लिए दिनांकित 20.07.2010 का दावा किया। नोटिस की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए, प्रत्यर्थी ने 02.11.2010 पर एक मेल भेजा जिसमें दावे की राशि के 50 प्रतिशत पर मामले का निपटारा करने की पेशकश की गई।

4. यह उपर्युक्त पृष्ठभूमि में है कि अपीलार्थी ने शहर के समक्ष 15.09.2012 पर OS नंबर 5164/2012 होने का मुकदमा दायर किया।

1 1 इसके बाद 'प्रत्यर्थी' के रूप में संदर्भित।

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल कोर्ट, मुंबई ₹9,17,642.56/- की राशि की वसूली के लिए, 21 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। प्रत्यर्थी ने लिखित बयान दायर किए जिसमें कहा गया था कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है।

विचारण न्यायालय के समक्षः

5. ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया कि

सीमा और अपने दिनांकित 05.02.2014 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है क्योंकि वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 3 की दूसरी अनुसूची के नियम 30 में निर्धारित अवधि की गणना इस प्रकार की जा सकती है - 28.10.2010 , अर्थात्, वह तिथि जब प्रत्यर्थी ने मांग के 50 प्रतिशत पर दावे के प्रस्तावित निपटान को स्वीकार किया था। इस उद्देश्य के लिए, निचली अदालत ने यह मानते हुए सीमा अधिनियम की धारा 18 पर भरोसा किया कि उक्त अधिनियम वायु अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होता है।

6. प्रारंभिक मुद्दे पर निचली अदालत के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 6647/2014 दायर की।

बॉम्बे का न्यायालय। इसमें आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह मानते हुए अनुमति दी कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क यह है कि वायु अधिनियम, 1972 बाद का और एक विशेष क़ानून होने के कारण, पहले के और सामान्य क़ानून, सीमा अधिनियम, 1963 पर एक प्रबल प्रभाव पड़ेगा।

उच्च न्यायालय के समक्षः

7.1 उच्च न्यायालय ने एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। मेसर्स सिंगापुर एयरलाइंस Ltd.4, मेसर्स एयर इंडिया बॉम्बे एयरपोर्ट और एक अन्य v. मेसर्स एशिया टैनिंग कंपनी और Anr.5,

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे और ए. एन. आर. वी. भारत संघ, द ईस्ट एंड वेस्ट स्टीमशिप कंपनी, जॉर्जटाउन,

मद्रास बनाम. एस. के. रामलिंगम चेट्टियार 1, एयर इंडिया लिमिटेड बनाम तेज शू एक्सपोर्टर्स पी. लिमिटेड और Anr.³ और गल्फ एयर कंपनी बनाम। नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य जिन्होंने यह विचार रखा कि वायु द्वारा वहन अधिनियम,

2 कथन को पूरा करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने शुरू में जिला उपभोक्ता मंच से संपर्क किया था, जिसने यह विचार लिया कि लेन-देन वाणिज्यिक प्रकृति का है और इसलिए, इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। उस आदेश के खिलाफ अपील और संशोधन को भी खारिज कर दिया गया था, हालांकि देरी के आधार पर। 3 इसके बाद 'वायु अधिनियम, 1972' के रूप में संदर्भित।

4 2014 एससीसी ऑनलाइन मैड 247।

5 2002 एससीसी ऑनलाइन मैड 802।

6 2004 एससीसी ऑनलाइन मैड 489।

1 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1058

8 2013 एससीसी ऑनलाइन डेल 3749।

9 1999 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 915।

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

1972 सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को बाहर करता है। उच्च न्यायालय ने कहा किः -

" 30. इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भी लिया गया सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि वायु द्वारा वहन अधिनियम 1972, एक विशेष क़ानून होने के नाते, को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसके प्रावधानों का एक प्रबल प्रभाव होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, सीमा अधिनियम की धारा 18, जो एक सामान्य अधिनियम है, का वर्तमान मामले में सीमा की अवधि बढ़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है, जो - अधिनियम की अनुसूची II के नियम 30 में विहित।

7.2 इस तरह के फैसले के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया

प्रारंभिक मुद्दे पर विचारण न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है और उसे खारिज कर दिया।

प्रस्तुतियाँः

8.1 अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) में प्रावधान है कि जब तक सीमा अधिनियम को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा जाता है, तब तक इसका प्रावधान सीमा की एक अलग अवधि निर्धारित करने वाले किसी भी कानून पर लागू होता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वायु अधिनियम, 1972 की दूसरी अनुसूची के नियम 30 में स्पष्ट रूप से नहीं है

सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया। उन्होंने आगे कहा कि नियम 30 (2) स्पष्ट रूप से मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून के आधार पर "सीमा की अवधि की गणना करने की विधि" को सक्षम बनाता है। इस आधार पर, उन्होंने आग्रह किया कि कानूनों के प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। वह उचित रूप से हमारे पास लाया

लारोचे बनाम में यूनाइटेड किंगडम में अपील न्यायालय के फैसले पर ध्यान दें। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर (यूके) Ltd.[10] 10 और फिशमैन बनाम में यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स के दूसरे सर्किट का निर्णय। डेल्टा एयरलाइंस 1. इन मामलों में, न्यायालयों ने यह विचार लिया है कि सीमा की अवधि को नियंत्रित करने वाले नगरपालिका कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आधार पर कानूनों के तहत किए गए दावों के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए। श्री नवारे ने इन निर्णयों को इस आधार पर अलग किया कि वायु अधिनियम, 1972 की दूसरी अनुसूची के नियम 30 की सही व्याख्या के साथ पठित सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) पर आधारित वैधानिक स्थिति एक अलग आधार पर खड़ी होगी, और इसलिए ये निर्णय हैंः

अलग करने योग्य।

10 (2009) ईडब्ल्यूसीए सिविल 12। 11 1938 एफ. सप. 228 ( 1996 )

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.2 प्रत्यर्थी-एयरलाइंस की अधिवक्ता सुश्री रितु सिंह मान ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि धारा 29 (2) के तहत बहिष्कार को वायु अधिनियम, 1972 के प्रावधानों से निहित किया जा सकता है। विद्वान वकील ने हुकुमदेव नारायण यादव बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। ललित नारायण मिश्रा 1 2. लिखित प्रस्तुतिकरणों में, पहली बार, प्रत्यर्थी ने यह तर्क देना चाहा कि यह तीसरी अनुसूची का नियम 35 है न कि वायु अधिनियम, 1972 की दूसरी अनुसूची का नियम 30 जो हाथ में दिए गए मामले पर लागू होगा। हमारा ध्यान यूनाइटेड किंगडम में न्यायालयों के निर्णयों की ओर भी आकर्षित किया गया था (सिद्धू बनाम। ब्रिटिश एयरवेज 1 4, फिलिप्स बनाम। एयर न्यूज़ीलैंड 1 5), संयुक्त राज्य अमेरिका (फिशमैन बनाम। डेल्टा एयरलाइंस ", कान बनाम। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस 1 7) और ऑस्ट्रेलिया (भाटिया बनाम। मलेशियाई एयरलाइन सिस्टम बरहाद 1 8) प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए।

मुद्देः

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

1 . क्या सीमा अधिनियम, 1963 में निर्दिष्ट अवधि के लिए लागू होता है वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 की दूसरी अनुसूची का नियम 30?

2 . क्या वायु अधिनियम, 1972, विशेष रूप से द्वितीय का नियम 30 अनुसूची स्पष्ट रूप से इसकी प्रयोज्यता को बाहर करती है सीमा अधिनियम, 1963?

मुद्दा संख्या 1:

क्या सीमा अधिनियम, 1963 में निर्दिष्ट अवधि के लिए लागू होता है वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 की दूसरी अनुसूची का नियम 30?

10. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुरस्कार के लिए विमान द्वारा किए गए व्यक्तियों, सामान या माल के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित मामले ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विषय हैं। ये हैं।

12 ( 1974 ) 3 एससीआर 31. 13 लिखित निवेदन में पहली बार लिया गया कि यह अधिनियम की धारा 4 ए और तीसरी अनुसूची है, जो लागू होती है, प्रत्यर्थी का निवेदन हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तीसरी अनुसूची के नियम 35 और दूसरी अनुसूची के नियम 30 के बीच वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम केवल दूसरी अनुसूची के आधार पर आगे बढ़ेंगे।

5 (2002) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 800 (वाणिज्यिक न्यायालय)। 16 सुप्रा नं. 11 . 17 82 ए. डी. 2 डी 696: ( 1981 ) 443 एनवाईएस 2 डी 79। 18 (2018) एफसीए 1471।

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

वायु अधिनियम, 1972 की अनुसूची के माध्यम से हमारे कानूनों में शामिल किया गया। वायु अधिनियम, 1972 की धारा 3 1 9 में वारसा कन्वेंशन, 1929 को पहली अनुसूची में शामिल किया गया है और विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि यह

भारत में कानून का दर्जा प्राप्त है। धारा 4 2 1 में हेग प्रोटोकॉल दिनांकित 28.09.1955 को शामिल किया गया है और इसे दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है और इसे भारत में कानून का दर्जा दिया गया है। इसी तरह, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 19992 3 को प्रभावी बनाने के लिए 2009 में लागू की गई धारा 4 ए 2 2 इसे अधिनियम की तीसरी अनुसूची में शामिल करती है और इसे भारत में कानून का दर्जा देती है।

11. दूसरी अनुसूची का अध्याय III 'की देयता' से संबंधित है।

वाहक ', जो लेक्स फोरी के अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत को मान्यता देता है, जिसके अनुसार सदस्य देशों में से किसी एक के लिए न्यायिक में मुकदमे और कार्यवाही उस न्यायालय के कानून द्वारा शासित की जानी है जिसमें कार्यवाही शुरू की गई है। इस सिद्धांत को दूसरी अनुसूची के नियम 29 (2) द्वारा ही मान्यता दी गई है।

" नियम 29. ( 1 ) नुकसान के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए,

वादी का विकल्प, उच्च में से एक के क्षेत्र में

संविदाकारी पक्षकार, या तो न्यायालय के समक्ष

अधिकारिता जहाँ वाहक सामान्य रूप से निवासी है, या है

19 भाग 3: भारत में कन्वेंशन का अनुप्रयोग (1) पहली अनुसूची में निहित नियम, जो वाहक, यात्रियों, प्रेषकों, प्रेषकों और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और देनदारियों से संबंधित कन्वेंशन के प्रावधान हैं, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारत में किसी भी हवाई परिवहन के संबंध में कानून का बल होगा, जिस पर वे नियम लागू होते हैं, चाहे वह परिवहन करने वाले विमान की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। 20 12 अक्टूबर 1929 को वारसॉ में हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

21 21 धारा 4: भारत में संशोधित कन्वेंशन का अनुप्रयोग (1) दूसरी अनुसूची में निहित नियम, जो वाहक, यात्रियों, प्रेषकों, प्रेषकों और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और देनदारियों से संबंधित संशोधित कन्वेंशन के प्रावधान हैं, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारत में किसी भी हवाई परिवहन के संबंध में कानून का बल होगा, जिस पर वे नियम लागू होते हैं, चाहे वह परिवहन करने वाले विमान की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

22 धारा 4 एः भारत में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का अनुप्रयोग ( 1 ) तीसरी अनुसूची में निहित नियम, वाहक, यात्रियों, प्रेषकों, प्रेषकों और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और देनदारियों से संबंधित मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के प्रावधान होने के नाते, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, भारत में हवाई मार्ग से किसी भी परिवहन के संबंध में कानून का बल होगा, जिस पर वे नियम लागू होते हैं, चाहे परिवहन करने वाले विमान की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

23 28 मई, 1999 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण के लिए कन्वेंशन। 24 रुक्मबोये बनाम। लल्लूभॉय मोतीचंद (1935) 5 एच. आई. ए. 234।

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान, या उसके द्वारा एक प्रतिष्ठान है जिसे अनुबंध किया गया है या न्यायालय के समक्ष किया गया है

गंतव्य स्थान पर अधिकार क्षेत्र।

( 2 ) प्रक्रिया का प्रश्न कानून द्वारा शासित होगा अदालत ने मामले को अपने हाथ में ले लिया।

12. संस्थान और निर्णय को नियंत्रित करने वाला प्रक्रियात्मक कानून

भारत में दीवानी मुकदमों में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के साथ-साथ सीमा अधिनियम, 1963 शामिल हैं। सीमा अधिनियम विशेषण कानून की एक शाखा है, और उन सभी कार्यवाहियों पर लागू होता है जिन्हें यह अपने अधिनियमन की तारीख से नियंत्रित करता है। लेकिन एक सुस्थापित सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है

कि जब अधिकार ही समाप्त हो जाता है, तो सीमा से संबंधित प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं होता है। एक सीधा उदाहरण जहाँ अधिकार ही समाप्त हो जाता है,

धारा 1125 के साथ-साथ सीमा की धारा 2726 में साक्ष्य दिया जा सकता है।

अधिनियम, 1963। धारा 11 विदेशों में किए गए अनुबंधों के संबंध में भारत में दायर मुकदमों से संबंधित है। लेक्स के सिद्धांत का पालन करना

इसलिए, यह धारा प्रदान करती है कि विदेशी क्षेत्राधिकार में प्रदान किए गए सीमा के नियम लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, इस नियम का अपवाद धारा 11 (2) (ए) में प्रदान किया गया है, जब अनुबंध यानी अधिकार समाप्त हो जाता है। इसी तरह, धारा 27 भी इस सिद्धांत को मान्यता देती है -

संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन एक अपवाद होने के नाते सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता।

13.1 एक उपाय को अपवाद के रूप में प्रतिबंधित करने के बीच का अंतर है

अच्छी तरह से स्थापित, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों में देखा जा सकता है। अधिकार का उन्मूलन और सीमा पर इसका प्रभाव अच्छी तरह से पहचाना जाता है।

कानून की अदालतों द्वारा। हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों का उल्लेख कर सकते हैं।

25 धारा 11. उन क्षेत्रों के बाहर किए गए अनुबंधों पर मुकदमे जिन तक अधिनियम का विस्तार है ( 1 ) जम्मू और कश्मीर राज्य में या किसी विदेशी देश में किए गए अनुबंधों पर जिन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होता है, वहां स्थापित मुकदमे इस अधिनियम में निहित सीमा नियमों के अधीन होंगे।

( 2 ) जम्मू और कश्मीर राज्य में या किसी विदेशी देश में लागू सीमा का कोई भी नियम उस राज्य में या किसी विदेशी देश में किए गए अनुबंध पर उक्त क्षेत्रों में स्थापित मुकदमे का बचाव नहीं होगा जब तक कि

( क) नियम ने अनुबंध को समाप्त कर दिया है; और
( बी) पार्टियों के दौरान उस राज्य में या विदेश में अधिवासित थे

ऐसे नियम द्वारा निर्धारित अवधि।

26 धारा 27. संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन किसी भी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति तक सीमित अवधि के निर्धारण पर, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा।

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

13.2 वर्तमान मामले की तरह ही एक मुद्दा विचार के लिए उठा।

ईस्ट एंड वेस्ट स्टीमशिप कंपनी v. एस. के. रामलिंगम

टियर 27, जहाँ इस न्यायालय को अनुच्छेद 6 के तीसरे खंड पर विचार करना थासमुद्र द्वारा माल के भारतीय वहन अधिनियम की अनुसूची में अनुच्छेद III, जिसमें, से निर्वहन अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए

इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः -

" ..... सवाल यह है कि हमें यह तय करना है कि क्या यह कहते हुए कि जहाज या वाहक को "दायित्व से मुक्त" कर दिया जाएगा, केवल प्रेषक या प्रेषक के उपचार पर रोक लगाई जा रही थी या अधिकार को भी समाप्त किया जा रहा था। यह उपयोगी है कि

इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय चरित्र को याद रखें इन नियमों पर, जैसा कि पहले ही जोर दिया जा चुका है। सीमा के नियम एक देश से दूसरे देश में भिन्न होने की संभावना है। प्रावधान

सीमा के लिए निर्धारित अवधि के विस्तार के लिए

समान रूप से भिन्न होता है। इसलिए हमें "दायित्व से मुक्त" शब्द को पहनने में देरी करनी चाहिए-एक ऐसी व्याख्या जो विभिन्न देशों में अलग-अलग परिणाम उत्पन्न करेगी और इस प्रकार शिपर और जहाज के मालिक दोनों के लिए स्थिति को अनिश्चित रखेगी। हालाँकि, इस विचार के अलावा, हम सोचते हैं कि

"दायित्व से मुक्त" की सामान्य व्याकरणिक भावना का अर्थ "दायित्व के संबंध में उपचार से मुक्त" नहीं है, लेकिन अधिकार के विलुप्त होने के बाद दायित्व के पूर्ण विलुप्त होने का अर्थ है। हमें यह मुश्किल लगता है

शब्दों के बीच कोई उचित अंतर करने के लिए

" दायित्व "और" दायित्व से मुक्त "और

सोचिए कि ये शब्द "दायित्व से मुक्त" थे

अभिप्रेत है और इसका अर्थ है कि दायित्व पूरी तरह से है

गायब हो गया और न केवल यह कि उपचार के संबंध में

दायित्व गायब हो गया है। हम मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश से सहमत नहीं हो सकते हैं कि इन शब्दों का केवल यह अर्थ है कि "भले ही अधिकार उस व्यक्ति में हो सकता है जो लाभों का हकदार है, फिर भी दायित्व इसके विपरीत है।

पार्टी को प्रवर्तन की असंभवता से मुक्त किया जाता है। द.

रा नहीं। 7 . यदि वाहक और जहाज को माल की डिलीवरी की तारीख के बाद एक साल के भीतर मुकदमा नहीं लाया जाता है, तो वाहक और जहाज को सभी दायित्वों या क्षति से मुक्त कर दिया जाएगा। "[2022] 11 एस. सी. आर.

किसी अधिकार के विलुप्त होने और उस अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी उपाय के विलुप्त होने के बीच का अंतर, हालांकि ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। विधायिका नहीं हो सकती थी लेकिन

शब्दों का उपयोग करते समय इस अंतर के प्रति सचेत रहें

" एक लेख में सभी दायित्वों से मुक्त किया गया

जहाज मालिकों के अधिकार और उन्मुक्ति निर्धारित करें। ये शब्द दायित्व के पूर्ण रूप से विलुप्त होने के इरादे को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

और, विशेष रूप से विधान के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इस अर्थ में समझा जाना चाहिए। यह जोड़ना शायद ही आवश्यक है कि एक बार देयता समाप्त हो जाने के बाद इस खंड में, किसी भी स्वीकृति की कोई गुंजाइश नहीं है

इसके बाद दायित्व।

13.3 आर. एम. में। ए. आर. ए. आर. आर. एम. ए. आर. रामनाथन चतुर्तियार और अन्य M.CL.M. सोमसुंदरम चेर्तियार और Ors.29, के रूप में आयोजित किया गया थाडब्ल्यूएसः -

" यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सर्वमान्य नियम है कि प्रक्रिया के सभी मामले देश के कानून द्वारा शासित होंगे।

वह न्यायालय जहाँ कोई कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है स्थिति। सीमा के क़ानून जहाँ तक वे उन अवधियों को निर्धारित करते हैं जिनके भीतर दावे को लागू किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा उपचार

केवल वर्जित है, केवल प्रक्रियात्मक माना जाता है।

लेकिन ऐसे कानूनों में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो पक्षों के अधिकारों को समाप्त कर देते हैं। भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 28 है -

एक उदाहरण जहाँ उपचार पर प्रतिबंध लगाए जाने पर संपत्ति का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। ऐसे मामले में, वह है

भारतीय संविधान की धारा 11 (2) में वैधानिक रूप में मान्यता प्राप्त है। सीमा अधिनियम "।

13.4 पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम। सुरेंद्र प्रसाद

30 , इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

"

4 ) 77 एलडब्ल्यू 399।

5 पूरक (1) एस. सी. सी. 499।

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

" 5. ..... सीमा के नियम अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं।

दलों से। 1963 के सीमा अधिनियम 36 की धारा 3, संक्षेप में "अधिनियम" केवल इसे प्रतिबंधित करता है, लेकिन उस अधिकार को नष्ट नहीं करता है जिससे उपचार संबंधित है। ऋण का अधिकार

सीमा। केवल अपवाद जिसमें उपचार भी यह सीमा द्वारा वर्जित हो जाता है कि अधिकार ही नष्ट हो जाता है।

उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 27 के तहत किसी भी संपत्ति के कब्जे के लिए एक मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित हो जाता है, संपत्ति का अधिकार ही नष्ट हो जाता है। ऐसे मामलों को छोड़कर जो हैं

विशेष रूप से इस अधिकार के तहत प्रदान किया गया है कि कौन सा उपाय अन्य मामले में संबंधित है। हालाँकि, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ऋण को लागू करने का अधिकार धारा 3 के तहत वर्जित है।

अनुसूची में प्रासंगिक लेख, ऋण का अधिकार बना रहता है। धारा 3 के कारण समयबद्ध ऋण समाप्त नहीं होता है। उस अधिकार का प्रयोग किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है।

एक सूट के माध्यम से। ऋण समाप्त नहीं होता है, लेकिन दायित्व को लागू करने का उपाय नष्ट हो जाता है। कौन सी धारा 3 संदर्भित केवल उपचार के लिए है लेकिन लेनदारों के अधिकार के लिए नहीं है। इस तरह का ऋण तब तक बना रहता है जब तक इसका भुगतान नहीं किया जाता है।

13.5 खादी ग्राम उद्योग न्यास बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों में उपरोक्त उल्लिखित पूर्ववर्ती में निर्धारित सिद्धांतों का लगातार पालन किया जाता है। राम चंद्रजी विराजमान मंदिर 3 1, केरल राज्य और अन्य। 31 ( 1978 ) 1 एससीसी44।

" 4. ..... इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त अधिकार है कि हालांकि एक ऋण समय-वर्जित है, यह एक ऋण होगा जो देय होगा, हालांकि वसूली योग्य नहीं है, राहत को सीमा द्वारा बाधित किया जा रहा है। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में (तीसरा संस्करण) खण्ड. 24 पी पर। 205 , अनुच्छेद 369 में कहा गया है कि "पूर्व में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, सीमा अधिनियम, 1939 केवल कार्रवाई या बंद करके उपचार को छीन लेता है; यह अधिकार को अन्यथा अछूता छोड़ देता है और यदि कोई लेनदार जिसका ऋण वैधानिक रूप से वर्जित है, उसके पास कार्रवाई या बंद के अलावा अपने दावे को लागू करने का कोई साधन है, तो अधिनियम उसे उन माध्यमों से वसूली करने से नहीं रोकता है"। कर्वन बनाम में अपील न्यायालय। मिलबर्न [(1889) 42 सीएचडी 424] कॉटन, एलजे ने कहाः वैधानिक-वर्जित ऋण बकाया हैं, हालांकि उनका भुगतान कार्रवाई द्वारा नहीं किया जा सकता है। बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यही विचार व्यक्त किया गया था। बॉम्बे राज्य [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 328: 1958 एससीआर 1122: ( 1958 ) 1 लैब एलजे 778] जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क़ानून की सीमा केवल उपचार को रोकती है लेकिन ऋण को समाप्त नहीं करती है, सिवाय सीमा अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदान किए गए मामलों के, जो ऋण पर लागू नहीं होती है।

वी. वी. आर. कल्लियानिकुट्टी और Anr.³2 और प्रेम सिंह और ओआरएस में भी। वी. बीरबल और Ors.33।

14. लेक्स से संबंधित कानून की सुस्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए

अंतर्राष्ट्रीय कानून में, अधिकार या दायित्व के उन्मूलन से उत्पन्न होने वाले समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित अपवाद के साथ, अब हम वाहक के दायित्व से संबंधित वायु अधिनियम, 1972 की दूसरी अनुसूची में नियम 30 के अनुसार भारत में स्थिति की जांच करेंगे। वायु अधिनियम, 1972 का नियम 30 निम्नानुसार निकाला गया हैः

गंतव्य पर आगमन, या उस तारीख से जिस पर विमान आना चाहिए था, या उस तारीख से जिस दिन गाड़ी आई थी

रुक गया।

( 2 ) सीमा अवधि की गणना करने की विधि

मामला जब्त किए गए न्यायालय के कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

नियम 30 के उप-नियम (1) का विश्लेषणः

15.1 जबकि नियम 29 शुरू करने के लिए न्यायिक उपचार के बारे में बात करता है

हर्जाने के लिए कार्रवाई, नियम 30 हर्जाने के अधिकार अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। यह है।

32 ( 1999 ) 3 एससीसी 657 " 15. हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है कि सीमा का क़ानून केवल अधिकार को छुए बिना उपचार को प्रतिबंधित करता है। इसलिए, ऋण की वसूली का अधिकार बना रहेगा, भले ही मुकदमे के माध्यम से उपचार समय-बाधित होगा। रिलायंस को खादी ग्राम उद्योग ट्रस्ट बनाम पर रखा गया था। राम चंद्रजी विराजमान मंदिर, (1978) 1 एस. सी. सी. 44 जुड़ाव। वहाँ के न्यायालय ने कहा कि हालांकि एक ऋण समय-बाधित हो सकता है, फिर भी यह एक बकाया ऋण होगा। अधिकार अछूता रहता है और यदि किसी लेनदार के पास कार्रवाई या बर्खास्तगी के अलावा अपने अधिकार को लागू करने का कोई साधन है, तो उसे ऐसा करने से नहीं रोका जाता है। पंजाब नेशनल बैंक बनाम। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा [1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 499] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं। सीमा अधिनियम की धारा 3 केवल उपचार को प्रतिबंधित करती है लेकिन उस अधिकार को नष्ट नहीं करती है जिससे उपचार संबंधित है। उदाहरण के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 27 के तहत विशेष रूप से प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, जिस अधिकार से उपचार संबंधित है, वह बना रहता है। यद्यपि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ऋण को लागू करने का अधिकार वर्जित है, उस अधिकार का प्रयोग मुकदमे के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक लेनदार का समयबद्ध ऋणों के खिलाफ समायोजन करने का अधिकार मौजूद है।

33 (2006) 5 एससीसी 353 "। 11. सीमा विश्राम का एक क़ानून है। यह आम तौर पर एक उपाय को रोकता है, लेकिन एक अधिकार को समाप्त नहीं करता है। उक्त नियम का एकमात्र अपवाद सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 में पाया जाता है, जिसमें प्रावधान है कि किसी भी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति तक सीमित अवधि के निर्धारण पर, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा।

15.2 दो वर्ष की समाप्ति पर क्षति का अधिकार समाप्त हो जाने के बाद, इसमें उल्लिखित तीन वैकल्पिक तिथियों से गणना की जाती है। स्वयं शासन करें, प्रवर्तन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सीमा अधिनियम की धारा 3 केवल उपचार को प्रतिबंधित करती है, लेकिन जब अधिकार समाप्त हो जाता है, तो सीमा अधिनियम के प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं होता है। इस कारण से, द ईस्ट एंड वेस्ट स्टीमशिप Co.[3]4 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार खंड के तहत दायित्व का अधिकार समाप्त हो जाने के बाद, उसके बाद दायित्व को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

15.3 यह कानून की स्थिति नियम 30 के उप-नियम (1) की सादे भाषा से प्राप्त होती है। हालाँकि जब हम नियम 30 के उप-नियम (2) पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो स्थिति बहुत अलग होती है।

नियम 30 का उप-नियम (2):

16.1 उप-नियम (2) निम्नानुसार निकाला गया है: -

" ( 2 ) सीमा अवधि की गणना करने की विधि मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी।

16.2 अपनी सरल और सरल भाषा में, उप-नियम (2) सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता को अपनाता प्रतीत होता है, जैसा कि भारत में न्यायालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

अधिकार क्षेत्र। उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने की विधि स्वाभाविक रूप से उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि से संबंधित है। उप नियम (1) दो घटनाओं की पहचान करता है और उन्हें ठीक करता है। सीमा की अवधि और उक्त अवधि के प्रारंभ की तारीख (तीन निर्दिष्ट तिथियाँ)। इसलिए, जब सीमा की अवधि, साथ ही तारीख

उक्त अवधि का प्रारंभ, पहले से ही दिया गया है, उप-नियम (2) के तहत परिकलित सीमा अवधि की गणना की विधि किसी अन्य कारक से संबंधित होनी चाहिए। हालांकि, बिना निर्दिष्ट किए

34 सुप्रा नं. 7 .

मामला जब्त किए गए न्यायालय पर लागू होता है। इसने सांसदों के इरादे के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी है, चाहे वह अधिनियम की दूसरी अनुसूची का कन्वेंशन हो या नियम 30। 16.3 इसके अलावा, नियम 30 (2) में सीमा की अवधि की गणना करने वाली अभिव्यक्ति, अवधि की गणना की अभिव्यक्ति का पर्याय है।

सीमा अधिनियम, 1963 के भाग-III में दी गई सीमा। भाग-III, जो कुछ समय अवधियों के अपवर्जन से संबंधित है, सार्वजनिक नीति के आधार पर एक न्यायपूर्ण कारण की उप-सेवा करना है जो मानवीय कमजोरियों को पहचानता है।

मोटे तौर पर, ये अवधियाँ (i) उस तारीख से संबंधित हैं जिससे अवधि की गणना की जानी है (धारा 12); (ii) एक भिखारी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए लिया गया समय, (धारा 13); (iii) गलत न्यायालय के सुधार के अवलोकन में शामिल प्रामाणिक अवधि (धारा 14); (iv) धोखाधड़ी (धारा 17); (v) ऋण की स्वीकृति (धारा 18); (vi) ऋण के कारण स्वीकृत भुगतान (धारा 19); (vii) निरंतर उल्लंघन आदि। ये वे अवधियाँ हैं जिन्हें सीमा अधिनियम, 1963 के तहत सीमा की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जा सकता है।

17.1 यह उपरोक्त संदर्भ में है कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नवारे ने इस बात पर जोर दिया है कि नियम 30 (2) की सरल भाषा के अनुसार वायु अधिनियम, 1972 के तहत कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की पुष्टि और प्रस्तुत किया कि नियम 30 (2) में 'सीमा अवधि की गणना करने की विधि' अभिव्यक्ति किसी भी सीमा अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से अभिव्यक्ति के समान है।

सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) में प्रावधान किया गया है। उनका तर्क है कि नियम 30 का उप-नियम (2) विशेष रूप से सीमा अधिनियम को वायु अधिनियम, 1972 की कानूनी व्यवस्था में शामिल करता है।

17.2 दूसरी ओर, सुश्री रितु सिंह मान ने सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) पर भरोसा करते हुए कहा कि सीमा अधिनियम के प्रावधानों को वायु अधिनियम, 1972 के विशेष कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। लिखित प्रस्तुतियों ने उद्देश्य और उद्देश्य पर जोर दिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें 'सामूहिक राज्य कार्रवाई' का प्रावधान था

वायु द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को नियंत्रित करने वाले कुछ नियमों के आगे सामंजस्य और संहिताकरण के लिए। तब यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि

प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता राज्य की अदालतों को समझौते के प्रावधानों की व्याख्या अपने तरीके से करनी थी, फिर एकरूपता प्राप्त करने का उद्देश्य एम/एस भगवानदास बी. रामचंदी बनाम।

ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

लिखित निवेदनों में, प्रत्यर्थी ने एक याचिका दायर की है कि यह तीसरी अनुसूची का नियम 35 है न कि नियम 30 जो लागू होगा। हालांकि, विचार करने पर हम दोनों के बीच कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं पाते हैं और इसलिए, हम अपने आगे के विश्लेषण में दूसरी अनुसूची के नियम 30 का उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

18. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ एक स्पष्ट संघर्ष के कारण सामने आती हैं

दूसरी अनुसूची के नियम 30 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के बीच। जबकि उप-नियम (1) दो साल की अवधि समाप्त होने पर अधिकार को समाप्त कर देता है, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा।

प्रवर्तन के लिए, उप-नियम (2) यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि मामले को जब्त करने वाला न्यायालय अपनी कार्यवाही पर लागू सीमा कानून को लागू कर सकता है और कार्यवाही के मुकदमे पर विचार कर सकता है। अब हम दूसरी अनुसूची के नियम 30 का विश्लेषण और व्याख्या करेंगे।

19.1 हालांकि, इससे पहले कि हम नियम 30 की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ें, सही अनुसूची की प्रयोज्यता के बारे में कुछ संदेहों को दूर करना आवश्यक है। जबकि मुकदमा इस धारणा पर स्थापित किया गया था कि यह हेग प्रोटोकॉल, 1955 द्वारा संशोधित वारसॉ कन्वेंशन, 1929 को अपनाने वाली दूसरी अनुसूची का नियम 30 है, जो कार्यवाही पर लागू होगा, मुकदमे के साथ-साथ उच्च न्यायालय और यहां तक कि पक्षों ने यह मान लिया कि यह सही नियम है जो मामले के तथ्यों पर लागू होगा। यह पहली बार है जब लिखित निवेदन में प्रत्यर्थी ने कहा कि यह मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 की तीसरी अनुसूची का नियम 35 है जो मामले के तथ्यों पर लागू होगा। स्टैंड में बदलाव स्पष्ट रूप से दूसरी अनुसूची के उप-नियम (2) में आने वाले दो शब्दों "सीमा" को तीसरी अनुसूची के नियम 35 के तहत पेश किए गए समान प्रावधान से हटाने के कारण है। इस मामूली परिवर्तन के आधार पर अपीलार्थी ने लिखित निवेदन में एक तर्क दिया कि - "सीमा" अभिव्यक्ति का सचेत विलोपन इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि उप-नियम (2) केवल दो साल की अवधि से संबंधित है और

"सीमा की अवधि" से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए, सीमा अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

19.2 वारसा कन्वेंशन, 1929, वारसा कन्वेंशन से संबंधित तीसरी अनुसूची का एक तुलनात्मक विवरण, जैसा कि संशोधित किया गया है

हेग प्रोटोकॉल, 1955 और 1999 के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को तैयार संदर्भ के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

नियम 30 अनुसूची II (अनुच्छेद

नियम 35

अनुसूची III (अनुच्छेद

नियम 29 अनुसूची I ( वारसा कन्वेंशन के वारसा 29 का अनुच्छेद 29

35 मॉन्ट्रियल

कन्वेंशन,

1999 )

समझौता, 1929)

हेग द्वारा संशोधित

प्रोटोकॉल, 1955)

नुकसान का अधिकार होगा

( 1 ) हानि का अधिकार होगा

( 1 ) हानि का

अधिकार होगा

यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो बुझा दिया जाता है

अगर कोई कार्रवाई की जाए तो बुझा दिया जाए

अगर कोई कार्रवाई

की जाए तो बुझा दिया जाए

एक अवधि के भीतर नहीं लाया गया

दो साल के भीतर नहीं लाया गया,

दो साल के भीतर लाया गया, तारीख से गणना की गई

तारीख से गणना की गई

दो साल, से गणना

की गई

आगमन की तिथि

गंतव्य पर पहुँचना, या

गंतव्य पर पहुँचना, या

गंतव्य, या तारीख

से

जिस तारीख से

जिस तारीख से

जिस पर विमान

को जाना चाहिए

विमान आ जाना चाहिए था,

विमान आ जाना चाहिए था,

या उस तारीख से जिस पर

या उस तारीख से जिस पर

आया है, या

तारीख

से

जिस पर गाड़ी रुकी।

गाड़ी रुक गई।

गाड़ी रुक गई।

( 2 ) गणना की

विधि

( 2 ) गणना की विधि

अवधि निर्धारित

की जाएगी

सीमा की अवधि होगी

न्यायालय के कानून

द्वारा जब्त किया गया

कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है

मामले से।

अदालत ने मामले को अपने हाथ में ले लिया।

19.3 उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि इसके बाद भी

1999 के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में "सीमा की" अभिव्यक्ति को हटाने में कठिनाई उतनी ही बनी हुई है जितनी उप-नियम (2) में "अवधि की गणना" करने की विधि के बारे में बात की गई है और इस तरह की अवधि अनिवार्य रूप से नियम 30 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दो साल की अवधि से संबंधित होनी चाहिए। नुकसान के लिए कार्रवाई के लिए अवधि की गणना आवश्यक होगी।

इसमें सीमा का कानून शामिल है क्योंकि यह भारत में स्थापित मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों को नियंत्रित करने वाला एक विशेषण क़ानून है। यह मानते हुए भी कि अभिव्यक्ति को हटाने से नियम के दायरे और दायरे में अधिक स्पष्टता आती है, जो तीसरी अनुसूची के नियम 35 (2) तक ही सीमित होगी और उस अवधि के संबंध में कठिनाई बनी रहेगी जिसके दौरान नियम लागू किया गया था।

30 दूसरी अनुसूची काम करती है। अतः यह न्यायालय का बाध्यकारी और प्राथमिक कर्तव्य है कि वह उक्त प्रावधान के सही और सही अर्थ का विश्लेषण, व्याख्या और घोषणा करे।

व्याख्या

20. हमारा काम सही अर्थ को समझना और घोषित करना है और

अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 30 का तात्पर्य। अधिनियम की अनुसूची दो में केवल वारसॉ संधि शामिल है, जैसा कि हेग प्रोटोकॉल, 1955 द्वारा संशोधित किया गया है। यह सर्वविदित है कि किसी समझौते या संधि को नगरपालिका कानूनों में शामिल करना आम तौर पर तीन तरीकों से किया जाता है और इसकी स्थिति निगमन की प्रकृति पर निर्भर करती है। आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के उपयोग का उल्लेख

धारा 221 के तहत XIV, फ्रांसिस बेनिओन 3 5 35 को निम्नानुसार देखा गयाः

35 देखें, बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, छठा संस्करण, 2013। [ भाग XIV: सूचित व्याख्या नियम (विधायी इतिहास), पृष्ठ।

632. ] मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

" ( 1 ) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तीन अलग-अलग प्रकार हो सकते हैं।

स्थिति, जिसे कानून का स्रोत माना जाता है ( अ)

एक अधिनियम शामिल हो सकता है, चाहे वह उसी में हो या न हो

शब्द, संधि के प्रभाव वाले प्रावधान (इस संहिता में प्रत्यक्ष अधिनियम के रूप में संदर्भित)

संधि);

( ख)

एक अधिनियम कह सकता है कि संधि अपने आप में है

कानून के रूप में प्रभाव, संधि के प्रावधानों को संशोधन के साथ या बिना लागू करने के लिए छोड़ देना (इस संहिता में संधि के अप्रत्यक्ष अधिनियमन के रूप में संदर्भित);

संधि को केवल एक अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में छोड़ा जा सकता है।

( (ग)

दायित्व, निर्माण में संदर्भित किया जा रहा है

किसी सुसंगत अधिनियम का केवल जहां तक इस धारणा के द्वारा अपेक्षित हो कि संसद सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का इरादा रखती है।

संधि का जो भी दर्जा हो, उसके प्रावधान इस प्रकार हो सकते हैं -

( 2 )

एक प्रासंगिक अधिनियम की व्याख्या में एक सहायता के रूप में संदर्भित। इसी तरह इसका प्रारंभिक कार्य (कठिन तैयारी), विदेशी अदालतों का निर्णय (ला न्यायशास्त्र) और विदेशी न्यायविदों के विचार (ला।

सिद्धांत) "।

21. संधियों के कानून पर वियना संधि, 1969 का उल्लेख किया जा सकता है।

एक "संधियों पर संधि"। यह व्यापक नियम स्थापित करता है,

संधियों को कैसे परिभाषित किया जाता है, मसौदा तैयार किया जाता है, संशोधित किया जाता है, इसके लिए नियम और दिशानिर्देश,

रेटेड, और आम तौर पर संचालित। वियना समझौते की धारा 3

संधियों की व्याख्या के लिए, जिनमें से अनुच्छेद 31 और 32 हैं

चींटी हमारे उद्देश्यों के लिए और तैयार होने के लिए नीचे निकाली गई है इन्सान।

“ धारा 3. उपचारों का हस्तक्षेप

अनुच्छेद 31: व्याख्या का सामान्य नियम

1. संधि की व्याख्या सद्भावना से की जाएगी।

शर्तों को दिए जाने वाले सामान्य अर्थ के साथ

उनके संदर्भ में और अपने उद्देश्य और उद्देश्य के आलोक में संधि।

2. संधि की व्याख्या के उद्देश्य के लिए संदर्भ

पाठ के अलावा, इसकी प्रस्तावना भी शामिल होगी।

और अनुलग्नक:

( क) संधि से संबंधित कोई समझौता जो किया गया था।

निष्कर्ष के संबंध में सभी पक्षों के बीच

संधि का; ( ख) कोई भी उपकरण जो एक या अधिक पक्षों द्वारा बनाया गया था।

संधि के समापन के संबंध में और स्वीकार किया गया संधि से संबंधित एक साधन के रूप में अन्य पक्षों द्वारा।

3. संदर्भ के साथ ध्यान में रखा जाएगाः

( क) संबंधित पक्षों के बीच कोई भी बाद का समझौता

संधि की व्याख्या या उसका अनुप्रयोग

प्रावधान;

( ख) संधि को लागू करने में कोई भी बाद की प्रथा

जिसके बारे में पक्षों के समझौते को स्थापित करता है इसकी व्याख्या;

( ग) में लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी प्रासंगिक नियम

पक्षों के बीच संबंध।

4. एक शब्द को एक विशेष अर्थ दिया जाएगा यदि यह स्थापित है।

कि पार्टियों का ऐसा इरादा था "। 22. अनुच्छेद 31 के अलावा, हमारे लिए अनुच्छेद पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है

हिच "व्याख्या के पूरक साधन" से संबंधित है।

" अनुच्छेद 32: व्याख्या के पूरक साधन

पूरक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है

संधि के प्रारंभिक कार्य सहित व्याख्या और इसके निष्कर्ष की परिस्थितियाँ, पुष्टि करने के लिए

अनुच्छेद 31 के लागू होने से उत्पन्न अर्थ, या

अर्थ निर्धारित करें जब व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 31:

( क) अर्थ को अस्पष्ट या अस्पष्ट छोड़ देता है; या

( बी) एक परिणाम की ओर ले जाता है जो स्पष्ट रूप से बेतुका है या

अनुचित "। 23. जब किसी संधि को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाए जाते हैं या

अंत में, वियना समझौते के अनुच्छेद 31 और 32 बन जाते हैं

ऐसी विधियों की व्याख्या के लिए चींटी 3 6 36। अदालत को होना चाहिए

गृह विभाग के राज्य सचिव ने अदन, (1999) 4 ऑल ई. आर. 774 को निर्वासित किया।

( सीए); मेसर्स भगवानदास बी. रामचंडनी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

संधि के सच्चे, स्वायत्त और अंतर्राष्ट्रीय अर्थ के लिए अपनी राष्ट्रीय कानूनी संस्कृति की धारणाओं से अप्रभावित। और, केवल एक ही सही अर्थ हो सकता है। 37 इस पद्धति के अनुकूलन की एक घटना फोदरगिल v के मामले में हुई। मोनार्क एयरलाइंस 38, के अर्थ में

यूनाइटेड किंगडम में वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1961 3 9 39 जिसे वारसॉ समझौते को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि इस तरह के अधिनियम से निपटने में, एक उद्देश्यपूर्ण संरचना लागू की जानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों की राय के साथ-साथ सीमित अर्थों में सम्मेलन की कठिन तैयारी के लिए भी संदर्भ दिया जा सकता है। 40

24. अनुच्छेद 32 के बाद पूरक का सहारा लेने के लिए प्राधिकृत करना

व्याख्या के साधन, एक संधि के प्रारंभिक कार्यों सहित, अब हम वारसॉ कन्वेंशन, 1929 के अनुच्छेद 29 के विधायी इतिहास की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसे अंततः 1955 में गेज प्रोटोकॉल में और उसके बाद 1999 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन द्वारा संशोधित किया गया था। 1929 तक इस खंड का मूल मसौदा अनुच्छेद 28 के रूप में आया था जो इस प्रकार थाः

दो साल के भीतर नहीं लाया जाता है, जिसकी गणना की तारीख से की जाती है गंतव्य पर आगमन, या उस तारीख से जिस पर

विमान को आना चाहिए था, या उस तारीख से जिस पर

गाड़ी रुक गई।
( 2 ) " सीमा की अवधि की गणना करने का तरीका, साथ ही साथ अवधि के निलंबन और व्यवधान के कारण

सीमा, मंच के कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी

अदालत "।

25.1 उपरोक्त मसौदा स्वीकार किए जाने से पहले विचार के लिए था।

सम्मेलन में अनुच्छेद 29 के रूप में। सदस्य देशों ने 4 से 12 तारीख के बीच हवाई समझौते द्वारा वहन के प्रस्तावित अनुच्छेदों पर विचार-विमर्श किया अक्टूबर, 1929 में वारसॉ में। प्रक्रिया के दौरान, सदस्यों ने 07.10.1929 पर अनुच्छेद 28 पर विचार-विमर्श किया। उस समय, इटली गणराज्य ने मसौदा अनुच्छेद के संबंध में निम्नलिखित आपत्ति उठाईः

37 आर. (मुलेन के आवेदन पर) v. गृह विभाग के राज्य सचिव (2004) 1 सभी ई. आर. 65, पी. 84 ) न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत आगे देखें। 14 संस्करण, पृष्ठ 693।

38 ( 1980 ) 2 सभी ई. आर. 696। 39 अधिनियम सम्मेलन को दो भागों में एक अनुसूची में निर्धारित करता है। भाग I अंग्रेजी पाठ और भाग II, फ्रांसीसी पाठ को निर्धारित करता है। असंगति के मामले में, अधिनियम कहता है कि फ्रांसीसी पाठ प्रबल है।

40 (1980) 2 सभी ईआर 696: ( 1981 ) एसी 251।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" समय की अवधि, ताकि व्यवधान हो

सीमा की अवधि, देश के साथ बदलती है, और यह बहुत है

प्रेषक, प्रेषक के लिए यह जानना मुश्किल है कि कब

सीमा की अवधि के लिए दो साल निर्धारित किए गए हैं, उसे हमेशा तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि सीमा की यह अवधि न चले और दो की यह अवधि

वर्ष जो किसी प्रकार की शांति देने के लिए आवश्यक है

लाया जाता है, सभी कार्यों को बुझा दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, दूसरा अनुच्छेद गायब हो जाएगा, और यह होगा

कुछ शब्दों को जोड़ने में पहले पैराग्राफ को संशोधित करना आवश्यक है। सूत्र को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। हम अर्थ समझते हैं, लेकिन,

फ्रांसीसी दृष्टिकोण से, शायद शब्दों की आवश्यकता है

पुनः जाँच की जाए। ' 9941

उनके ज्ञापन में आगे विस्तार से बताया गया था किः

" यदि कोई यह मानता है कि सीमा की अवधि काफी लंबी है और वह, विशेष रूप से कारणों को ध्यान में रखते हुए

निलंबन, यह कई देशों के कानून के अनुसार हो सकता है,

अनिश्चित काल के लिए लंबा होना, इसे संदर्भित करना एक अच्छा विचार नहीं है के कानून के लिए उपरोक्त कारणों का निर्धारण

वादी द्वारा चुना गया न्यायालय। शायद विमान का कानून

राष्ट्रीयता एक निश्चित और अधिक न्यायपूर्ण तत्व हो सकती है वाहक के प्रति दृढ़ संकल्प। उपर्युक्त-उद्धृत

नुकसान को अधिक कट्टरपंथी तरीके से समाप्त किया जा सकता है

सीमा अवधि के स्थान पर ज़ब्त करने की अवधि को प्रतिस्थापित करना।

इससे दूसरा अनुच्छेद बेकार हो जाएगा। इसके अलावा, 'स्थापित' शब्द के बाद 'वाक्यांश' को जोड़ा जाना चाहिए।

ज़ब्त '42' का जुर्माना

25.2 उनकी आपत्ति व्यक्त की गई चिंताओं से उपजी थी

ers, जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के कई क्षेत्राधिकारों के अधीन होगा

y प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में कानून की स्थिति के संबंध में। इसमें यह अगला, कि इतालवी प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 29 में संशोधन की मांग की

सीमा के आधार पर हस्तक्षेप से प्रतिरक्षा, जोएर्ट सी। ; लेगरेज हॉर्नर, डिडिएर, अनुवादक। ई-एयरोनॉटिकल लॉ पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अक्टूबर 4-12,1929, वारसॉः मिनट (1975) पी। 110 .

पीजी 112-113।

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

क्षेत्राधिकार से लेकर क्षेत्राधिकार तक, जिससे बड़ी मात्रा में अनिश्चितता पैदा होती है।

ओली, फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने कहाः

" एम. आर. रिपर्ट (फ्रांस): मैं इतालवी प्रस्ताव का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता, लेकिन अंतिम विश्लेषण में इसका उद्देश्य केवल सीमा की अवधि के निलंबन के कारणों पर है, जो गायब हो जाना चाहिए। फिर भी, यह संकेत दिया जाना चाहिए कि यह कानून है।

मंच न्यायालय जो तय करेगा कि कैसे, की अवधि के भीतर दो साल, अदालत को जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि सभी देशों में

दुनिया के सूट एक ही तरह से नहीं लाए जाते हैं।

दो साल के भीतर कार्रवाई करनी होती है; शुरुआत कौन ठीक करेगा?

सूट? एक पाठ आवश्यक है जो कहता है कि यह होगा

फोरम अदालत जो बताएगी कि क्या मुकदमा ठीक से शुरू किया गया था। में।

फ्रांस, वहाँ पूर्व-परीक्षण सम्मेलन है; अन्य देशों में दीवानी अदालत को संदर्भित करना अपरिहार्य है; लेकिन मैं बहुत अधिक हूं।

इस राय का कि हमें बाधा को समाप्त करना चाहिए

सीमा की अवधि, और मैं खुद को इतालवी प्रस्ताव के साथ जोड़ता हूं।

एम. आर. रिपर्ट (फ्रांस): वास्तव में, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूट को सभी देशों में उसी तरह पेश नहीं किया जाता है जैसे इसे होना चाहिए। कि मंच अदालत बताएगी कि इसे कैसे पेश किया जाना चाहिए। 43

25.3 विचार-विमर्श के बाद, उप-अनुच्छेद (2) को संशोधित किया गया और एस में, निम्नलिखित खंड डाला गया और कन्वेंशन थाजीएचटी बल में। इस प्रकार, अनुच्छेद 29 अपने वर्तमान रूप में निम्नानुसार हैः

" अनुच्छेद 29

1. हर्जाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा यदि दो साल के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी गणना गंतव्य पर पहुंचने की तारीख से या उस तारीख से की जाती है जिस दिन विमान को आना चाहिए था। पहुँचने के लिए, या उस तारीख से जिस पर गाड़ी आई थी

रुक गया।

2. सीमा अवधि की गणना करने की विधि होगी -

न्यायालय के कानून द्वारा निर्धारित मामले को जब्त कर लिया गया।

26. इस स्तर पर हमें एक छोटे से तथ्य का उल्लेख करना चाहिए, जिसका उस मुद्दे पर कोई महत्व नहीं है जिससे हम संबंधित हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि

इसका एक संदर्भ। हमने देखा है कि अनुच्छेद 29 का उप-अनुच्छेद (2)

पृष्ठ 111.

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय वायु परिवहन अधिनियम, 1934 की अनुसूची I में शामिल किया गया। स्वतंत्रता के बाद, जब संसद ने 1934 के अधिनियम को निरस्त करने के बाद वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 लागू किया और वारसॉ कन्वेंशन, 1929 को पहली अनुसूची में शामिल किया। यहाँ भी वारसा कन्वेंशन का उप-अनुच्छेद (2) नियम 29 में नहीं है। हालाँकि, हेग द्वारा संशोधित वारसा कन्वेंशन को शामिल करने वाली दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 29 (1) और (2) से युक्त प्रोटोकॉल, 1955 को पूरी तरह से दूसरी अनुसूची के नियम 30 (1) और (2) में शामिल किया गया है। मामूली भिन्नता पर ध्यान देने के बाद हमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद 29 का उप-अनुच्छेद (2) प्रस्तुत करना, जो किसी भी सीमा की अवधि के निलंबन को बाहर करता है। जैसा कि सम्मेलन में देखा गया है, मुकदमों को उसी तरह से अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जाता है और इसलिए यह विचार-विमर्श किया जाता है मुकदमे या कार्यवाही की शुरुआत को तय करने और निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से मंच न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है।

28. यह स्थिति अपीलीय निर्णय में अच्छी तरह से व्यक्त की गई है।

कान बनाम में न्यूयॉर्क के सर्वोच्च न्यायालय का प्रभाग। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस 44.

" इसके अलावा, प्रतिनिधियों की चर्चा से यह समान रूप से स्पष्ट है कि वर्तमान अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 2 द्वारा मंच अदालत को भेजा जाने वाला एकमात्र मामला यह निर्धारित करना था कि क्या वादी ने कार्रवाई पर उस विशेष अदालत की अधिकारिता को लागू करने के लिए दो साल की अवधि के भीतर आवश्यक उपाय किए थे। इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता का एक स्पष्ट उदाहरण संघीय अदालतों के विपरीत न्यूयॉर्क राज्य की अदालतों में कार्रवाई शुरू करने की विधि के बीच का अंतर है। इस प्रकार, न्यूयॉर्क में, निर्भर करता है

मंच चुना गया, वादी द्वारा शासित कार्रवाई में

वारसा कन्वेंशन को या तो सेवा को प्रभावित करना चाहिए

प्रतिवादी (सी. पी. एल. आर. 304) या संघीय अदालत में शिकायत दर्ज करें।

जिला न्यायालय (फेड नियम सिविल प्रो, नियम 3 [यू. एस. कोड, शीर्षक 28, परिशिष्ट में] अनुच्छेद 29, यानी दो साल द्वारा सीमित समय के भीतर।

44 सुप्रा नं. 17 .

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

तदनुसार, इस बात की परवाह किए बिना कि कन्वेंशन स्वयं है या नहीं

" कार्रवाई के किसी भी कारण को उत्पन्न करता है, यह आसानी से स्पष्ट है कि

अनुच्छेद 29 में शामिल समय सीमा का उद्देश्य था - एक पूर्ववर्ती स्थिति की प्रकृति में, और यह कि यह था

कभी भी बचपन या अन्य द्वारा विस्तारित या टोल होने का इरादा नहीं था

असमर्थता। इसके अलावा, की ओर से इस तरह के इरादे

मसौदा तैयार करने वाले सम्मेलन के एक ओवर के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं।

सभी उद्देश्य-दुनिया के एक समान निकाय की स्थापना करना।

अंतर्राष्ट्रीय विमानन को नियंत्रित करने के लिए व्यापक दायित्व नियम।

29. अनुच्छेद 29 के उप-अनुच्छेद (2) की भाषा में अनिश्चितता को देखते हुए, जैसा कि भारत के लिए नियम 30 के उप-नियम (2) के मामले में है, सभी क्षेत्राधिकारों की अदालतों को प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए कहा गया था।

उक्त प्रावधान के निर्माण पर। दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने हमारे सामने विदेशी अदालतों के फैसलों को रखा है जिन्होंने अनुच्छेद 29 पर फैसला सुनाया है और उक्त प्रावधान की व्याख्या की है, कमोबेश लगातार यह विचार रखते हुए कि सीमा के घरेलू कानूनों का दो साल की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन निर्णयों पर विचार करने से पहले, एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत को दोहराना महत्वपूर्ण है कि अदालतों को व्याख्या की एकरूपता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों की व्याख्या करते हुए अन्य क्षेत्राधिकारों की अदालतें। 30. एक समान नीति और एक वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा मॉरिस बनाम में रेखांकित किया गया है। के. एल. एम रॉयल डच

एयरलाइंस 45 और कई अन्य निर्णयों में। 46

" 81. एक आदर्श दुनिया में कन्वेंशन दिया जाना चाहिए।

इसका अर्थ उन सभी के लिए समान है जो इसमें भाग लेते हैं। तो, मामला कानून

साक्ष्य का एक और संभावित स्रोत प्रदान करता है। सावधानी बरतें।

अन्य क्षेत्राधिकार जिनसे निपटने के लिए कहा गया है मुद्दा, विशेष रूप से वे जो उच्च स्तर के हैं

खड़े हैं। एक को काफी वजन दिया जाना चाहिए

व्याख्या जिसे अन्य में सामान्य स्वीकृति मिली हो

अधिकार क्षेत्र। दूसरी ओर, एक भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण

यदि निर्णय विरोधाभासी हैं, या यदि कोई स्पष्ट नहीं है तो आवश्यक है उनके बीच समझौता।

45 [ 2001 ] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 351 46 जिचरमैन बनाम। कोरियाई एयर लाइन्स कंपनी लिमिटेड, 516 यू. एस. 217, (1996), ई. आई. ए. आई. इज़राइल एयरलाइंस लिमिटेड वी. T.Y.Tseng 525 यू. एस. 155 (1999)।

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. ऐसा कहने के बाद, अब हम यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्रों से इस मुद्दे पर कुछ प्रमुख निर्णयों का उल्लेख करेंगे।

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने वारसा कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 की जांच की।

यूनाइटेड किंगडम

32. यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय ने लारोचे बनाम में एक निर्णय पारित किया। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जहाँ इसने इतिहास की जाँच की

वारसा कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि यह एक ठोस समय सीमा प्रदान करता है न कि एक प्रक्रियात्मक समय सीमा। इसने आगे कहा कि वारसॉ कन्वेंशन एक कोड प्रदान करता है जो घरेलू कानून के अनुच्छेदों के किसी भी उपाय से अलग है। न्यायालय ने इतिहास का पता लगाया

उपरोक्त प्रावधान और अंततः यह अभिनिर्धारित किया गया कि वारसा कन्वेंशन ने इटली गणराज्य द्वारा सुझाए गए रुख को अपनाने की मांग की। आयोजित किया गया था,

" 70. न्यायाधीश के विचार में, [48] से [51] तक यह अभिनिर्धारित करने का अधिकार था कि अनुच्छेद 29 (2) 2 वर्ष की अवधि की अनुमति नहीं देता है

घरेलू कानून के संदर्भ में निलंबित, बाधित या विस्तारित। यह केवल एक चीज जो अदालत द्वारा मामले के निर्धारण के लिए छोड़ती है, वह है प्रासंगिक दो साल की अवधि की शुरुआत और अंत की सटीक तारीखों की गणना और यह निर्धारित करना कि क्या कार्रवाई उस दो साल की अवधि के भीतर की गई है। 71. इस मुद्दे पर अपने निष्कर्ष पर पहुँचते समय, न्यायाधीश ने अनुच्छेद 29 बनने के संबंध में वारसॉ कन्वेंशन की कठिन तैयारी में जो कहा गया था, उसे ध्यान में रखा था। अनुच्छेद 29 (2) का पहला मसौदा इन शब्दों में थाः

" सीमा की अवधि की गणना करने की विधि, साथ ही सीमा की अवधि के निलंबन और व्यवधान के कारणों का निर्धारण अधिकार क्षेत्र लेने वाले न्यायालय के कानून द्वारा किया जाएगा।

72. इतालवी प्रतिनिधिमंडल ने आपत्ति जताई कि इटैलिक में शब्दों ने "वाहक की कानूनी स्थिति को बहुत अनिश्चित बना दिया"। इटालियंस ने बाद में दूसरे पैराग्राफ को हटाने का प्रस्ताव रखा ताकि "दो साल बाद कोई भी कार्रवाई मर जाए और अब स्वीकार्य न हो"।

उनका तर्क था कि "समय की अवधि, ताकि सीमा की अवधि में व्यवधान हो, के साथ भिन्न होती है।

47 सुप्रा नं. 10 .

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

देश, और प्रेषक, प्रेषक के लिए यह जानना बहुत मुश्किल है कि रुकावट या निलंबन कब शुरू होता है "। उनका प्रस्ताव "बहुत सरल था; अगर दो साल बाद

दुर्घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सभी कार्रवाई को बुझा दिया गया है। आगे की चर्चा के बाद, इतालवी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ये चर्चाएं पूर्ण सत्र में हुईं। ऐसा लगता है कि यह मामला समिति में फिर से उठाया गया था, जब इस शब्द को अपनाने के लिए संशोधित इतालवी प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया था कि "दो साल की अवधि के भीतर ज़ब्ती के दर्द के तहत देयता कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए"। उस स्तर पर भ्रमित करने वाले फ्रांसीसी योगदान के बावजूद कि "एक ही समय में व्यवधान और सीमा की अवधि निर्धारित की जाती है। हम सार में सहमत हैं ", इतालवी प्रस्ताव को अपनाया गया। फिर भी आगे की चर्चा हुई जिसके कारण अनुच्छेद 29 को उस रूप में अपनाया गया जिसमें अंततः उस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

73. हालाँकि इन वार्ताओं की बारीकियों का पालन करना मुश्किल है, लेकिन मेरे विचार में यह स्पष्ट है कि वारसा कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ताओं ने इतालवी प्रस्ताव को अपनाने का इरादा किया था कि निश्चितता के हित में, दो साल की अवधि समाप्त होने पर, कन्वेंशन के तहत सभी दावे

" और यह कि अदालत द्वारा मामले के निर्धारण के लिए केवल तारीखों का निर्धारण किया जाएगा और क्या कार्रवाई दो साल की अवधि के भीतर की गई थी। यह एक शक्तिशाली संकेतक है कि अनुच्छेद 29 (1) के शब्दों का अर्थ है कि वे क्या कहते हैं और यह कि दो साल की अवधि

किसी भी परिस्थिति में निलंबन, व्यवधान या विस्तार के अधीन नहीं है।

74. इसलिए अनुच्छेद 29 (1) की व्याख्या करने के लिए कन्वेंशन का उद्देश्य यह भी होगा कि यह "एक समान अंतर्राष्ट्रीय संहिता होनी चाहिए, जिसे सभी उच्च संविदाकारी पक्षों की अदालतें अपने स्वयं के घरेलू कानून के नियमों के संदर्भ के बिना लागू कर सकती हैं": सिद्धू बनाम ब्रिटिश एयरवेज पीएलसी [1997] एसी 430,453 सी-डी में लॉर्ड होप के अनुसार देखें।

75. मैं श्री लॉसन की इस दलील को भी स्वीकार करता हूं कि यह व्याख्या इस नियम के अनुरूप है कि एक सामान्य प्रावधान (जैसे कि अनुच्छेद 29 (2)) उस मामले को जब्त करने वाली अदालत की प्रक्रिया के नियम को वैधता नहीं दे सकता है जो विवाद में है [2022] 11 एस. सी. आर.

समझौते के एक स्पष्ट प्रावधान के साथ। फिलिप्स एलजे के रूप में

मिलोर एस. आर. एल. बनाम ब्रिटिश एयरवेज पी. एल. सी. [1996] क्यू. बी. 702 में कहा गया,

707 ईः " उदाहरण के रूप में, यदि चुने गए के प्रक्रियात्मक कानून

फोरम ने 12 महीने की सीमा अवधि लगाई, ऐसा नहीं लगता

मेरे लिए कि यह सीमा की दो साल की अवधि को विस्थापित कर सकता है कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 द्वारा निर्धारित।

76. जहां तक अमेरिकी न्यायशास्त्र का संबंध है, न्यू पेंटैक्स का निर्णय

श्री डेवी द्वारा ट्रांस वर्ल्ड पर भरोसा करना पहला उदाहरण है।

निर्णय लें। फिशमैन बनाम डेल्टा एयर के बाद के निर्णय में

लाइन्स इंक 132 एफ 3 डी 138, उसी का अपील न्यायालय

सर्किट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 29 (2) इसकी अनुमति देता है।

के अनुसार निर्धारित की जाने वाली सीमा अवधि

लेक्स फॉर. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, न्यायालय ने माना था कि

ट्रैवॉक्स वारसॉ कन्वेंशन की तैयारी करता है और उनके अर्थ और प्रभाव पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे

मैंने ऊपर [73] में किया है। हालांकि न्यू पेंटैक्स नहीं करता है

ऐसा प्रतीत होता है कि फिशमैन में उद्धृत किया गया है, बाद वाला एक निर्णय है

एक उच्च न्यायालय "।

33. यूनाइटेड किंगडम में कई अन्य निर्णयों 48 में भी इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

34. संयुक्त राज्य में अपील न्यायालय का दूसरा परिपथ

फिशमैन बनाम में अमेरिका के राज्य। डेल्टा एयर लाइन्स इंक ", एक एयर होस्टेस द्वारा एक शिशु को जलाने की चोट लगी थी। शिशु ने अपनी माँ के माध्यम से 2 साल की अवधि के बाद एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की, यह दावा करते हुए कि स्थानीय सीमा कानून शिशुओं के लिए सीमा को निलंबित करता है। अपील न्यायालय ने वारसॉ समझौते में प्रावधान के इतिहास का भी पता लगाया ताकि यह पता लगाया जा सके किः

" लगभग हर अदालत जिसने मसौदा कार्यवृत्त की समीक्षा की है

इस मामले में जिला अदालत सहित कन्वेंशन ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 29 (2) में शामिल है -

फोरम में अन्यथा लागू प्रावधानों को हटाना। देखिए, जैसे,

कास्त्रो बनाम। हिंसन, 959 एफ. सप. 160 , 163 ( E.D.N.Y. 1997);

फिशमैन, 938 एफ. सप. 230 पर; रॉयल इंस। कं., 834 एफ. सप. में

48 देखिए, सिद्धू बनाम। ब्रिटिश एयरवेज (1997) 2 डब्ल्यूएलआर 26; फिलिप्स बनाम। एयर न्यूज़ीलैंड (2002) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 800 (वाणिज्यिक न्यायालय)।

49 सुप्रा नं. 11 .

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

636 ; कान, 443 N.Y.S.2d 87 पर। कार्यवृत्त से पता चलता है कि सम्मेलन के मसौदों ने विशेष रूप से एक प्रस्तावित प्रावधान पर विचार किया और उसे अस्वीकार कर दिया जो सीमाओं की अनुमति देता।

फोरम न्यायालय के कानून के अनुसार निर्धारित की जाने वाली अवधि।

आर. सी. हॉर्नर और डी. लेग्रेज़, मिनट ऑफ़ द सेकंड देखें।

निजी वैमानिकी कानून पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 110 13 ( 1975 ) ; कान, 443 N.Y.S.02d पर 86-87; रॉयल इन्स। कं., 834 एफ. सप. 636 पर। जैसा कि जिला अदालत ने माना, टोलिंग प्रस्ताव को अस्वीकार करने में मसौदा तैयार करने वालों की मुख्य चिंता "कन्वेंशन द्वारा शासित उन कार्यों को अनिश्चितता से हटाना था जो संलग्न होंगी यदि वे सदस्य राज्यों के कानूनों के विभिन्न टोलिंग प्रावधानों के अधीन हों"। कान, 443 N.Y.S.2d 87 पर। इसके अलावा, बहसों पर

अंततः अनुच्छेद 29 में अपनाई गई भाषा इंगित करती है कि

अनुच्छेद 29 की उप-धारा 2 द्वारा फोरम अदालत को भेजा जाने वाला एकमात्र मामला "यह निर्धारित करना था कि क्या वादी ने दो साल की अवधि के भीतर आवश्यक उपाय किए थे।

कार्रवाई पर उस विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना।

35. इसी तरह, नारायणन बनाम में एड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नौवें सर्किट के लिए अपील न्यायालय। ब्रिटिश एयरवेज 3 0 ने वारसॉ कन्वेंशन के तहत ओशन की पुष्टि की और पाया कि मॉन्ट्रियल

प्रवेश भी उसी स्थिति की परिकल्पना करता है। आयोजित किया गया था,

" वारसा कन्वेंशन के मसौदा इतिहास से यह भी पता चलता है कि मसौदा तैयार करने वालों का इरादा अनुच्छेद 29 को विश्राम के क़ानून के रूप में संचालित करना था, जो "एक अधिकार क्षेत्र की पूर्व शर्त की तरह, एक निश्चित अवधि के बाद कार्रवाई के कारण को समाप्त कर देता है. चाहे कार्रवाई का कारण कब प्राप्त हुआ हो।" अल्बिलो-डी लियोन बनाम। गोंजालेस 410 एफ. 3 डी 1090,1097 एन. 5 ( 9 टी सर। 2005)। द ड्राफ्टर्स विचार किया और अस्वीकार कर दिया-एक प्रस्ताव जो होगा

फोरम न्यायालय के कानून के अनुसार सीमा अवधि को निर्धारित करने की अनुमति दी गई। आर. सी. हॉर्नर और डी. लेग्रेज़ को देखें,

निजी विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यवृत्त

वैमानिकी कानून, 110-13 (1975); 144 पर फिशमैन, 132 F. 3d भी देखें (यह देखते हुए कि "[a] लगभग हर अदालत जिसने समीक्षा की है।

[वारसॉ] सम्मेलन के कार्यवृत्त का मसौदा तैयार किया गया है।

इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 29 (2) में [ए] फोरम [राज्य] में अन्यथा लागू टोलिंग प्रावधान शामिल हैं।

4 अमेरिकी ऐप। लेक्सिस 5173:

इसके बजाय, वारसॉ कन्वेंशन के मसौदों ने एक "बहुत

इतालवी प्रतिनिधिमण्डल द्वारा प्रस्तुत सरल "प्रस्तावः" यदि दुर्घटना के दो साल बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो सभी कार्रवाई

बुझा दिए जाते हैं "।

इस इतिहास के अनुरूप, क्षेत्राधिकारों में अदालतों के बीच प्रचलित दृष्टिकोण यह है कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की सीमा अवधि एक पूर्ववर्ती शर्त के रूप में कार्य करती है और इस तरह,

न्यायसंगत टोलिंग के अधीन नहीं है।

36. न्यूयॉर्क का सर्वोच्च न्यायालय भी कान बनाम में इसी तरह के उपयोग पर आया। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस Inc.5[1] इस मामले में, अदालत एक बार फिर प्रावधान के इतिहास की जांच करेगी। ऐसा लग रहा था कि वह कठिन तैयारी कर रहा है और पाया कि इस प्रावधान पर बहस की गई थी

बहसों पर विचार करते हुए, यह माना गया किः

" पूर्वगामी के आधार पर, यह बहुत स्पष्ट है कि

वारसा कन्वेंशन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से इच्छा व्यक्त की

कन्वेंशन द्वारा शासित उन कार्यों को हटा दें

अनिश्चितता जो जुड़ी होगी यदि वे सदस्य राज्यों के कानूनों के विभिन्न टोलिंग प्रावधानों के अधीन होंगे, और यह कि अनुच्छेद 29 में निर्दिष्ट दो साल की समय सीमा का उद्देश्य पूर्ण होना था-किसी भी कार्रवाई को छोड़कर जो था

दो साल की अवधि के भीतर शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा, प्रतिनिधियों की चर्चा से यह समान रूप से स्पष्ट है कि वर्तमान अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 2 द्वारा मंच अदालत को भेजा जाने वाला एकमात्र मामला यह था कि क्या

वादी ने दोनों के भीतर आवश्यक उपाय किए थे।

उस विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए वर्ष की अवधि

कार्रवाई। इस तरह की आवश्यकता का एक स्पष्ट उदाहरण

प्रावधान शुरू करने की विधि के बीच का अंतर है

के विपरीत न्यूयॉर्क राज्य की अदालतों में एक कार्रवाई

संघीय अदालतें। इस प्रकार, न्यूयॉर्क में, मंच के आधार पर चुना गया, वादी वारसॉ द्वारा शासित एक कार्रवाई में

कन्वेंशन को या तो प्रतिवादी पर सेवा को प्रभावित करना चाहिए

( सी. पी. एल. आर. 304) या संघीय जिला न्यायालय में शिकायत दर्ज करें।

( फेड लेख सिविल प्रो, अनुच्छेद 3 [यू. एस. कोड, शीर्षक 28, परिशिष्ट में])

अनुच्छेद 29 द्वारा सीमित समय के भीतर, अर्थात दो वर्ष।

एक नहीं। 17 .

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

ऑस्ट्रेलिया

37. ऑस्ट्रेलिया का संघीय न्यायालय, भाटिया बनाम में। मलेशियाई एयरलाइन सिस्टम बरहाद 3 2 ने लारोचे और कान में निर्णयों का पालन किया और आयोजित किया कि स्थानीय सीमा कानून वारसॉ कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 (1) को देखते हुए लागू नहीं होगा। यह पैरा 34 में आयोजित किया गया थाः

" 34. इस समझौते का उद्देश्य एकरूपता है और

कानून की निश्चितता, इसके हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच, ( प्रासंगिक रूप से) यात्रियों को व्यक्तिगत चोट लगी

अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन का पाठ्यक्रम जिस पर यह लागू होता है। द.

कन्वेंशन द्वारा बनाए गए अधिकार (कानून के बल को देखते हुए)

ऑस्ट्रेलिया) के रूप में संदर्भित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अधिकार हैं

" यात्रियों "। संबंधित देनदारियाँ लगाई जाती हैं

"वाहक" के रूप में संदर्भित व्यक्ति। कला में "क्रिया" शब्द

35 एक निर्माण दिया जाना चाहिए जो उद्देश्य को आगे बढ़ाता है

इनके बीच कानूनी संबंधों में निश्चितता प्रदान करना

दो लोग। अनुच्छेद 35 के तहत बुझाने के अधीन "नुकसान के अधिकार" को स्वाभाविक रूप से संदर्भित किया जा सकता है

एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त अधिकार जो उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय है

एक अन्य व्यक्ति जिसका संबंधित दायित्व है। यह इस प्रकार है -

कि "कार्रवाई" करने के लिए आवश्यक कदमों में शामिल होना चाहिए

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त कदम

संबंधित अधिकारों से संबंधित विवाद का निर्धारण करें

और दूसरे के संबंध में पहले व्यक्ति की देनदारियाँ। इस प्रकार, "लाया गया" और "कार्रवाई" शब्दों को एक ऐसी प्रक्रिया के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसके द्वारा विवादित अधिकार और

दोनों व्यक्तियों की देनदारियाँ अदालत के समक्ष आती हैं क्योंकि

न्यायनिर्णयन "।

38. हम फ्रांस के कोर डी का एक निर्णय देख चुके हैं।

लोरांस बनाम में कैसेशन। एयर फ्रांस 53 ने इस मामले पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। हालाँकि, जिन निर्णयों का हमने उल्लेख किया है, उन्होंने फ्रांसीसी न्यायालय के निर्णय सहित सभी दृष्टिकोणों से इस मुद्दे पर विचार किया है, और उसमें अपनाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि जोसेफ बनाम के मामले में अमेरिकी न्यायालयों के कुछ निर्णय हैं। सीरियन अरब एयरलाइंस 54 और फ्लैनगन बनाम।

52 सुप्रा नं. 18 . 53 ( 1977 ) 31 आर. एफ. डी. ए 268: ( कोर डी कैसेशन [असेंबली प्लेनियर] जनवरी, 14,1997)। 54 88 एफ. आर. डी. 530 (S.D.N.Y. 1980)।

55 428 F.Supp। 770 ( सी. डी. बछड़ा। 1977 ) .

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. जहाँ तक भारत का संबंध है, वायु अधिनियम, 1972 पर इस न्यायालय का कोई प्रत्यक्ष निर्णय नहीं है। इसका निर्णय हमें सबसे करीब मिलता है। समुद्र द्वारा माल का भारतीय वहन अधिनियम, 1925 के तहत न्यायालय, जो पूर्व और पश्चिम स्टीमशिप कंपनी v में व्याख्या के लिए गिर गया। एस. के. रामलिंगम चेट्टियार 56, जहाँ इस न्यायालय ने कहा था कि "सीमा के नियम देश-दर-देश भिन्न होने की संभावना है। विस्तार के लिए प्रावधान

सीमा के लिए निर्धारित अवधि भी इसी तरह अलग-अलग होगी। इसलिए हमें "दायित्व से मुक्त" शब्द को पहनने में धीमी गति से काम लेना चाहिए-एक ऐसी व्याख्या जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग परिणाम उत्पन्न करेगी।

देशों और इस प्रकार शिपर और जहाज के मालिक दोनों के लिए स्थिति को अनिश्चित रखते हुए। यह जोड़ना शायद ही आवश्यक है कि एक बार इस खंड के तहत दायित्व समाप्त हो जाने के बाद उसके बाद दायित्व की स्वीकृति की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा, हमारे पास उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णय हैं जिन्होंने अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 30 की व्याख्या की है।

नियम 30, दूसरी अनुसूची पर हमारे उच्च न्यायालयों के निर्णयः

40. देश भर के उच्च न्यायालयों ने भी इसी तरह का विचार रखा है कि सीमा अधिनियम, 1963 को वायु अधिनियम के तहत दावे के संचालन से बाहर रखा जाएगा। उच्च न्यायालयों ने तर्क दिया है कि वायु अधिनियम एक विशेष क़ानून है और इस प्रकार यह सीमा अधिनियम, 1963 पर प्रबल होगा, जो एक सामान्य क़ानून है। एयर इंडिया लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय। तेज शू एक्सपोर्ट्स पी. Ltd.57, शैलेश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाम। ब्रिटिश एयरवेज एंड एन. आर. 58 , इंडियन एयरलाइंस बनाम एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड और ए. एन. आर. 59 , इथोपियन एयरलाइंस बनाम। फेडरल केमिकल वर्क्स लिमिटेड "., मद्रास उच्च न्यायालय ने मेसर्स एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम. सिंगापुर एयरलाइंस एंड एयर

भारत, बॉम्बे हवाई अड्डा बनाम। एशिया टैनिंग कंपनी, 62 और बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने हमारे सामने दिए गए फैसले में यह विचार रखा है।

56 सुप्रा नं. 7 .

57 सुप्रा नं. 8 . 58 2003 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 318 (पैरा 10 से 15 पर)। 59 2014 एससीसी ऑनलाइन डेल 6825 (पैरा 16 पर)। 60 2004 एससीसी ऑनलाइन डेल 862 (पैरा 15 पर)। 61 सुप्रा नं. 4 .

62 2002 एससीसी ऑनलाइन मैड 802 (पैरा 7 पर)।

41. केवल एक निर्णय है जिसने मामले पर एक अलग दृष्टिकोण लिया है, और वह है नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय। जटनादेवी तेजराज जैन, 6. द हाई अदालत ने तर्क दिया कि अनुसूची II का अनुच्छेद 30 (2) मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून को लागू करता है और भारत में मामले को जब्त करने वाले न्यायालय का कानून सीमा अधिनियम, 1963 है। यह आयोजित किया गया थाः

" 10. उपरोक्त नियम में प्रावधान है कि नुकसान के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा यदि उस तारीख से दो साल के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है जिस दिन विमान को आना या रुकना चाहिए था। हालांकि, उप-नियम (2) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि सीमा की अवधि की गणना के अनुसार होगी

मामले के साथ जब्त किए गए न्यायालय के कानून द्वारा निर्धारित विधि। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विधि को लागू करने के बाद

न्यायालय की विधि के अनुसार, 2 वर्ष की अवधि को गिना जाना है, और उसके बाद, यदि 2 वर्ष की उक्त अवधि के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है तो नुकसान का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस मामले के साथ न्यायालय का कानून सीमा अधिनियम, 1963 है। सीमा अधिनियम के भाग III में सीमा की अवधि की गणना का प्रावधान है, जिसे कहा जा सकता है

सीमा अवधि की गणना की विधि के बराबर। अधिनियम की धारा 14 में अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय को हटाने का प्रावधान है। इसलिए, दो साल की सीमा की अवधि की गणना करते समय, हमारे विचार में, सीमा अधिनियम की धारा 14

आवेदन करें "।

42. हम पहले ही नियम 30 (2) के सही और सही अर्थ पर विचार कर चुके हैं, या जैसा भी मामला हो, तीसरी अनुसूची के नियम 35 (2) का उल्लेख करते हुए, कठिन तैयारी के साथ। द.

गुजरात उच्च न्यायालय ने नियम 35 (2) की व्याख्या करते समय मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। 43. अंतिम विश्लेषण में, सम्मेलन के विधायी इतिहास को ध्यान में रखते हुए और अनुच्छेद की सुसंगत व्याख्या को ध्यान में रखते हुए

29 विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अपनाए गए कन्वेंशन के उद्देश्य के लिए एकरूपता और कन्वेंशन के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हमारा विचार है कि नियम 30 (2) दो साल की अवधि की गणना के उद्देश्य से अवधि के बहिष्करण को लागू करने में सक्षम नहीं करता है।

63 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुज 7601 (पैरा 10 पर)।

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुद्दा संख्या 2

क्या वायु अधिनियम, 1972, विशेष रूप से दूसरी अनुसूची के नियम 30 में सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है,

1963 ?

44.1 इस मुद्दे पर श्री नवारे ने दो-आयामी निवेदन किया।

दूसरी अनुसूची का नियम 30 सीमा अधिनियम की धारा 29 की प्रयोज्यता को दोहराता है और साथ ही वायु अधिनियम, 1972 एक विशेष कानून होने के कारण सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट बहिष्करण नहीं है। 44.2 श्री नवारे प्रस्तुत करते हैं कि सबसे पहले, वायु अधिनियम में स्पष्ट रूप से इसकी प्रयोज्यता को छोड़कर कोई प्रावधान नहीं है

सीमा अधिनियम। इस कारण से, सीमा अधिनियम के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से

सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में लागू करें। दूसरा, वायु अधिनियम का नियम 30 (2) सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को दोहराता है। लिखित में

प्रस्तुतियों में उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि सीमा अधिनियम की धारा 29 यूनाइटेड किंगडम के सीमा अधिनियम, 1980 की धारा 39 से बहुत अलग है। 44.3 दूसरी ओर सुश्री रितु सिंह मान ने प्रस्तुत किया है कि वायु अधिनियम, 1972 सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को बाहर करता है।

45. मुद्दा संख्या 1 से निपटने के दौरान, हमने माना है कि दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद नुकसान का अधिकार समाप्त हो जाता है

और इसलिए सीमा अधिनियम के प्रावधानों का कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि प्रवर्तन के लिए कोई अधिकार मौजूद नहीं है। इस संदर्भ में हमने सीमा अधिनियम की धारा 3 का उल्लेख किया है जो केवल उपचार को प्रतिबंधित करती है न कि अधिकार को, लेकिन जब क़ानून अधिकार को ही समाप्त कर देता है तो स्थिति बहुत अलग होती है। हालाँकि हम श्रीनवारे के वर्तमान तर्क पर एक वैकल्पिक याचिका के रूप में विचार करेंगे और उससे निपटने के लिए तुरंत आगे बढ़ेंगे।

46. जहां किसी विशेष कानून में सीमा अधिनियम की धारा 29 के आधार पर सीमा की अवधि निर्धारित की गई है, ऐसी अवधि इस तरह लागू होगी जैसे कि सीमा अधिनियम की अनुसूची में प्रावधान किया गया था। नतीजतन, धारा 4 से 24 के प्रावधान सीमा की अवधि की गणना के उद्देश्य से लागू होंगे। यह प्रावधान एक स्पष्ट अपवाद के अधीन है कि सीमा अधिनियम लागू नहीं होगा यदि इसे विशेष अधिनियम द्वारा "स्पष्ट रूप से बहिष्कृत" किया जाता है। सीमा अधिनियम की धारा 29 जिस हद तक आवश्यक है, वह इस प्रकार है:

- मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

" 29. बचत

( 1 ) . ... ..... ... ..... ( 2 ) जहाँ कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे के लिए विहित करता है,

अपील या आवेदन से अलग सीमा की अवधि

अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि, धारा के प्रावधान

3 लागू होगा जैसे कि ऐसी अवधि द्वारा निर्धारित अवधि थी

किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा, में निहित प्रावधान

धारा 4 से 24 (समावेशी) केवल जहां तक लागू होगी, और

जिस हद तक, वे स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं

ऐसा विशेष या स्थानीय कानून। 47. व्यक्त बहिष्करण की वैधानिक आवश्यकता पर विचार किया जाता है।

पांडित्यपूर्ण तरीके से समझा। व्यक्त सशक्तिकरण होना है कानून के प्रावधानों से उत्पन्न। षण्मुगम बनाम।

पंजीकरण के लिए मिशनर, प्रिवी काउंसिल ने कहा किः

" यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम में "एक्सप्रेस" शामिल नहीं है।

व्याख्या अध्यादेश द्वारा आवश्यक प्रावधान

यह लागू होता है। उनके अधिपति सहमत नहीं हैं। अर्थ पर

"स्पष्ट प्रावधान" शब्दों में से वकील ने फिर से भरोसा किया

मेरेडिथ और कहा कि यह प्रावधान लागू होना चाहिए

जिसका अनुमान नहीं लगाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि वहाँ था

कोई "स्पष्ट प्रावधान" नहीं है क्योंकि इसका कोई संदर्भ नहीं दिया गया था

लंबित कार्यवाही। उनके अधिपतियों का मानना है कि यह

यह कहना सही है कि व्यक्त प्रावधान प्रावधान है

जिसकी प्रयोज्यता अनुमान से उत्पन्न नहीं होती है। द.

तथापि, चर्चा के अधीन प्रावधान की प्रयोज्यता

वर्तमान मामला अनुमान से उत्पन्न नहीं होता है; यह सीधे उत्पन्न होता है।

उपयोग की गई भाषा से। तथ्य यह है कि भाषा का उपयोग किया जाता है

विस्तृत और व्यापक और इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं को शामिल करता है

जिस पर तुरंत चर्चा की जा रही है, वह इसे संभव नहीं बनाता है।

यह कहने के लिए कि इसका अनुप्रयोग केवल अनुमान से उत्पन्न हो सकता है। होना है।

“ व्यक्त प्रावधान "किसी ऐसी चीज के संबंध में जो वह नहीं है

ल्ले इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. नीडल इंडस्ट्रीज न्यूए (इंडिया) होल्डिंग

ओ. आर. एस. (1981) 3 एस. सी. सी. 333। 52 ] 2 सभी ई. आर. 609।

यह आवश्यक है कि उस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए; यह पर्याप्त है कि यह सीधे भाषा द्वारा कवर की गई है, भले ही भाषा कितनी भी व्यापक हो, जो इसे तब तक कवर करती है जब तक कि प्रयोज्यता सीधे उपयोग की गई भाषा से उत्पन्न होती है और नहीं। वहाँ से अनुमान द्वारा। तर्क विफल हो जाता है। "

48. हुकुमदेव नारायण यादव बनाम। ललित नारायण मिश्रा 66, टी निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः -

" 17 ..... यह मानते हुए भी कि जहां अनुसूची में चुनाव याचिकाओं के लिए सीमा की अवधि निर्धारित नहीं की गई है

सीमा अधिनियम जो इसके तहत निर्धारित से अलग है

अधिनियम की धारा 81, धारा 29 (2) को आकर्षित किया जाएगा, और हमें यह निर्धारित करना होगा कि क्या इसके प्रावधान हैं।

चुनाव के मामले में खंड को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

याचिका। हमारे समक्ष यह तर्क दिया जाता है कि "स्पष्ट रूप से बहिष्कृत" शब्दों का अर्थ यह होगा कि विशेष या स्थानीय कानून में सीमा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के लिए एक स्पष्ट संदर्भ दिया जाना चाहिए, जिसके संचालन को बाहर रखा जाना है। हमेशा की तरह शब्दकोश में दिए गए अर्थ पर भरोसा किया गया है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या योजना

विशेष विधि, अर्थात् इस मामले में अधिनियम और उसमें प्रदान किए गए उपचार की प्रकृति ऐसी है कि विधानमंडल का इरादा था

यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो अकेले इसके द्वारा प्रदान किए गए कई मामलों को नियंत्रित करती है। यदि किसी परीक्षा में

प्रासंगिक प्रावधान यह स्पष्ट है कि

सीमा अधिनियम को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाता है, तो उसमें प्रदान किए गए लाभों को अधिनियम के प्रावधानों के पूरक के रूप में सहायता के लिए नहीं लिया जा सकता है। हमारे विचार में, ऐसे मामले में भी जहां विशेष कानून एक स्पष्ट संदर्भ द्वारा सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को बाहर नहीं करता है, फिर भी न्यायालय के लिए यह जांच करने के लिए खुला होगा कि क्या और किस हद तक उन प्रावधानों की प्रकृति या विशेष कानून के विषय-वस्तु और योजना में उनके प्रावधान शामिल नहीं हैं।

ऑपरेशन "।

49. हुकुमदेव 67 में निर्धारित सिद्धांत का पालन करते हुए, अब हम वायु अधिनियम, 1972 के प्रासंगिक प्रावधानों, इसकी अनुसूचियों और

4 ) 2 एससीसी 133।

एक नहीं। 66 .

मेसर्स भगवानदास बी. रामचंदी बनाम। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

नियम 30, विशेष रूप से, यह देखने के लिए कि क्या इन प्रावधानों का प्रभाव सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से बाहर करने का है।

वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972

50. वायु अधिनियम, 1972 कुछ अनुच्छेदों के एकीकरण के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को प्रभावी बनाने के लिए एक अधिनियम है।

हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित। अधिनियम की प्रस्तावना

कहते हैं:

" 12 अक्टूबर, 1929 को वारसॉ में हस्ताक्षरित हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण के लिए कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए एक अधिनियम और 28 सितंबर, 1955 को हेग प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित उक्त कन्वेंशन

28 मई, 1999 को हस्ताक्षरित समझौता और उक्त में निहित नियमों को लागू करने के लिए प्रावधान करना।

कन्वेंशन अपने मूल रूप में और संशोधित रूप में (अपवादों, अनुकूलन और संशोधनों के अधीन) हवाई मार्ग से गैर-अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और संबंधित मामलों के लिए

इसके साथ "।

51. अधिनियम में शामिल अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं (i) वारसॉ समझौता, 1929; (ii) वारसॉ समझौता, 1929 जैसा कि हेग प्रोटोकॉल द्वारा 28.09.1955 पर संशोधित किया गया है और (iii) मॉन्ट्रियल समझौता, 1999। अधिनियम की धारा 3 में वारसा कन्वेंशन को पहली अनुसूची के रूप में अधिनियम में शामिल किया गया है और विशेष रूप से इसका प्रावधान किया गया है

भारत में कानून की स्थिति। धारा 4 हेग प्रोटोकॉल को शामिल करती है और इसे दूसरी अनुसूची में प्रावधान करती है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए धारा 4 ए, अधिनियम की तीसरी अनुसूची प्रदान करती है और

विशेष रूप से इन प्रावधानों को कानून की स्थिति प्रदान करता है।

52. हेग प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित वारसॉ कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय गाड़ियों द्वारा हवाई मार्ग से परिवहन से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए अपने आप में एक पूर्ण कोड है। नियम 1 (1) में प्रावधान है कि हेग प्रोटोकॉल "व्यक्तियों, सामान या सामान के सभी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन" पर लागू होगा।

पुरस्कार के लिए विमान द्वारा किया गया माल "। नियम 2 में कहा गया है कि

कन्वेंशन राज्य या कानूनी रूप से गठित सार्वजनिक निकायों द्वारा किए गए परिवहन पर लागू होगा। कन्वेंशन के अध्याय II (नियम 3 से 16) का शीर्षक "कैरिज के दस्तावेज" है। नियम 3 दस्तावेजों से संबंधित है। कि यात्रियों की एक गाड़ी को डिलीवर करना होगा। नियम 4 सामान की जाँच के लिए एक तंत्र

निर्धारित करता है। नियम 5 से 11 [2022] 11 एस. सी. आर. के मामलों में एयर वे बिल से संबंधित है।

मालवाहक गाड़ियाँ। नियम 12 माल के निपटान के लिए प्रेषक के अधिकार से संबंधित है जो वाहक के लिए प्रतिकूल नहीं है। नियम 13 माल के आगमन पर प्रेषक के अधिकारों से संबंधित है। नियम 13 (3) में प्रावधान किया गया है कि जहां माल का नुकसान होता है, वहां माल प्राप्तकर्ता उन अधिकारों को लागू करने का हकदार होगा जो 'परिवहन के अनुबंध से प्रवाहित होते हैं'। नियम 14 में नियम 12 और 13 का पालन न करने के परिणामों का प्रावधान है।

53. वर्तमान में हम जिस अध्याय से संबंधित हैं, वह अध्याय III है जिसका शीर्षक 'वाहक की देयता' है। नियम 17 प्रदान करता है विमान में सवार होने के दौरान किसी यात्री की मृत्यु या घायल होने या अन्य चोटों की स्थिति में हुए नुकसान के लिए वाहक के दायित्व के लिए। नियम 18 में माल के विनाश, हानि, क्षति आदि की स्थिति में वाहक के दायित्व की परिकल्पना की गई है। इसी तरह, नियम 19 एक वाहक के दायित्व से संबंधित है।

यात्रियों, सामान या माल की ढुलाई में देरी पर। नियम 20 वाहक को एक न्यायसंगत छूट प्रदान करता है यदि वह यह साबित करता है कि उसने देरी या क्षति को नकारने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए थे। नियम 21 एक और न्यायसंगत प्रावधान है जो अंशदायी लापरवाही के मामलों में वाहक की रक्षा करता है। नियम 22 वाहक के न्यूनतम दायित्व को निर्दिष्ट करता है। नियम 23 उन सभी सीमाओं को रद्द कर देता है जो नियम 22 में दी गई सीमाओं से कम हैं।

54. नियम 24 में कहा गया है कि नुकसान के लिए कोई भी कार्रवाई केवल इनमें निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन की जा सकती है।

नियम "। नियम 25 वाहक के प्रत्यावर्ती दायित्व से संबंधित है। नियम 26 में प्रावधान है कि वाहक के एक कर्मचारी/एजेंट को दायित्व से छूट दी जाएगी यदि वह यह साबित करता है कि उसने अपने रोजगार के दायरे में काम किया है। नियम 27 (1) निर्दिष्ट करता है कि सामान या माल की प्राप्ति प्रथम दृष्टया इसकी अच्छी स्थिति का प्रमाण है। नियम 27 (2) में प्रावधान है कि जहां माल क्षतिग्रस्त है, वहां सामान की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर और माल की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर शिकायत की जानी चाहिए। नियम 27 (3) में प्रावधान है कि शिकायत लिखित रूप में की जाएगी। नियम 27 (4) में आगे प्रावधान किया गया है कि यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई शिकायत नहीं की जाती है, तो धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर वाहक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नियम 28 में कहा गया है कि मृतक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि नुकसान के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। नियम 29 अधिकारिता खंड है, और यह प्रावधान करता है कि कार्रवाई राज्य दलों में से किसी एक के क्षेत्र में की जा सकती है, या तो वाहक के अधिवास या उसके व्यवसाय के प्रमुख स्थान के न्यायालय के समक्ष या जहां इसका व्यवसाय का स्थान है जिसके माध्यम से अनुबंध किया गया है।

किया गया, या गंतव्य के स्थान पर अदालत के समक्ष।

नियम 29 (2) में मेसर्स भगवानदास बी. रामचंडनी बनाम को निर्धारित किया गया है। ब्रिटिश एयरवेज [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।]

कि 'प्रक्रिया के प्रश्न मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून द्वारा शासित होंगे'।

55. नियम 30, जो मामले का आधार है, में निकाला जा सकता है

भरा हुआः

" 30. ( 1 ) यदि दो साल के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो नुकसान का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

गंतव्य पर आगमन, या उस तारीख से जिस दिन विमान को आना चाहिए था, या उस तारीख से जिस दिन गाड़ी रुकी थी।

( 2 ) सीमा अवधि की गणना करने की विधि मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी।

56. अध्याय IV और V वर्तमान मामले के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि वे मशीनरी प्रावधान हैं जो नहीं करते हैं

नियम 30 की व्याख्या को प्रभावित करता है।

57. कन्वेंशन ने निश्चित रूप से सीमा के नियम 30 (1) में निर्दिष्ट अवधि की गणना के संदर्भ में दो चरों को शामिल किया। पहली घटना समय से संबंधित है, जो दो साल की एक निश्चित अवधि है।

दूसरी घटना कार्रवाई के कारण की शुरुआत से संबंधित है जिसे तीन घटनाओं में से किसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (i) गंतव्य पर आगमन; या (ii) जिस तारीख को विमान को पहुंचना चाहिए था; या (iii) जिस तारीख को गाड़ी रुकी थी। अब, एकमात्र घटना जो बची है वह तारीख है जिस पर हर्जाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है क्योंकि यह मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून पर निर्भर करेगा। नियम 30 (2) विशेष रूप से प्रदान करता है कि "अवधि की गणना करने की विधि मामले को जब्त करने वाले न्यायालय के कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी।" यह अनिवार्य रूप से इस कारण से होना चाहिए कि यदि उक्त अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो अधिकार को लागू करने के लिए दो साल की अवधि समाप्त हो जाएगी।

58. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि 'मामले को जब्त करने वाली अदालत का कानून' शब्दों के अर्थ को प्रभावी बनाने से एक

विसंगत स्थिति जहाँ हर देश का कानून होगा

कन्वेंशन में शामिल किया गया, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उद्देश्य को विफल कर दिया गया जो पूरे देश में एकरूपता लाना है

वायु द्वारा परिवहन के लिए लागू कानूनों में ग्लोब। 59. इसलिए उप-नियम (2) की व्याख्या न केवल उप-नियम (1) की सामग्री बल्कि उद्देश्य (2022) 11 एस. सी. आर. को भी ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

और उस समझौते का उद्देश्य जो हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित नियमों का एकीकरण करना है। अनुच्छेद 35 (2) के पीछे का इरादा केवल उस तारीख को तय करना था जिस पर मुकदमा (या कार्रवाई) शुरू हुई है और जिस तारीख को सीमा समाप्त होती है, देश के कानूनों के अनुसार।

फ्रांसीसी प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दिया गया उदाहरण इस स्थिति को स्पष्ट करता है क्योंकि यह परीक्षण-पूर्व सम्मेलनों जैसे प्रावधानों को समायोजित करने के लिए था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारत में ऐसी स्थिति संभवतः उत्पन्न हो सकती है यदि विधायिका अनिवार्य पूर्व-परीक्षण मध्यस्थता की परिकल्पना करती है। यह इस संभावना को समायोजित करने के लिए है कि कानून निर्माताओं ने घरेलू कानून के संचालन के लिए कुछ जगह छोड़ी।

60. इस मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, हमारी राय है कि वायु द्वारा वहन अधिनियम 1972 के नियम 30 में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है - सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता। मुद्दा संख्या 2 का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

61. ऊपर बताए गए कारणों से, 2014 के डब्ल्यू. पी. संख्या 6647 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के फैसले से 2018 के एस. एल. पी. संख्या 16767 से उत्पन्न अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

62. हम श्री विनय नवारे द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता को दर्ज करते हैं, जिसमें श्री प्रवर्तक पाठक, अधिवक्ता, सुश्री ग्वेन कार्तिका, अधिवक्ता और सुश्री आभा आर. शर्मा, अपीलार्थियों के लिए ए. ओ. आर. और प्रत्यर्थी के लिए सुश्री रितु सिंह मान, श्री धीरज के. गर्ग, अधिवक्ता और श्री राजन के. चौरसिया, ए. ओ. आर. ने सहायता की। अंकित ज्ञान

या

चिका खारिज कर दी गई।

( सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)